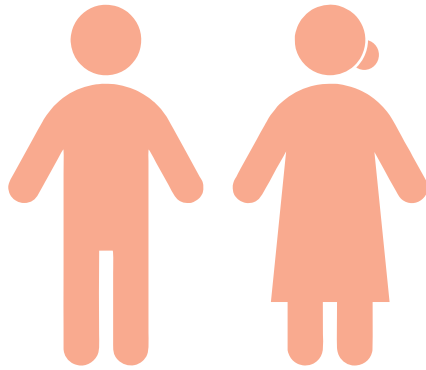




जेन्डर बजट

2022-23





बिहार सरकार

जेन्डर बजट

2022-23

वित्त विभाग
बिहार सरकार

प्राक्कथन

मानव जाति के ऐतिहासिक काल से ही महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला रही हैं। पुरुष और महिला दोनों ही परिवार और समाज के विकास एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव विकास का लक्ष्य महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत है जो कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। महिलाएं न केवल देश के मूल्यवान मानव संसाधन का गठन करती हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में उनका विकास अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए गति भी निर्धारित करता है। हालांकि, स्वतंत्रता के 74 वर्षों के बाद भी, बड़ी संख्या में महिलाओं को संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए, लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में संरक्षित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को सकारात्मक उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है।

इसी तरह, बिहार सरकार भी सभी क्षेत्रों में और शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका तात्पर्य यह है कि उन कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को बढ़ावा देना जिनका प्रमुख उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ाना है। इस प्रक्रिया में जेंडर बजटिंग राज्य के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जेंडर बजट एक ऐसा उपकरण है, जिसमें महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के कार्यक्रमों और योजनाओं को सीधे तौर पर बढ़ावा देने की क्षमता है।

जेंडर बजट की पृष्ठभूमि:

बिहार में जेंडर बजट राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल से विकसित हुआ है। महिला घटक योजना (Woman Component Plan) IX (योजना अवधि 1997-2002) महिलाओं से संबंधित मुद्दों और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया पहला बड़ा कदम था। महिला घटक योजना में सुनिश्चित किया गया कि विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हो। वर्ष 2003 में, एक अध्ययन हुआ, जिसमें लिंग-उन्मुख नीतियों को परखा गया और एक लिंग लेंस के माध्यम से केंद्रीय बजट का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2002, 2003, 2004 में, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में महिलाओं पर किया गया खर्च महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है। 2003 में, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने सलाह दी कि प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लैंगिक मुद्दों पर एक अनुभाग शामिल करें। 2004 में, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को जेंडर बजटिंग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया और वर्ष 2005-06 में पहली बार केंद्रीय बजट में जेंडर बजट स्टेटमेंट पेश किया गया था। इसी प्रकार, 2008-09 में बिहार में राज्य बजट के साथ प्रथम लिंग बजट दस्तावेज पेश किया गया।

जेंडर बजट का उद्देश्य:

जेंडर बजट महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार की पहल है। इसी उद्देश्य के तहत राज्य सरकार ने लिंग समानता को नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्राथमिकता दी है। जेंडर बजट कोई पृथक बजट नहीं है। मुख्य सरकारी बजट से लिंग आधारित कार्यक्रमों का विभक्तीकरण तथा लैंगिक वचनबद्धता को बजट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही जेंडर बजट कहते हैं। जेंडर बजट का लक्ष्य महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना है। अतः जेंडर बजट महिलाओं पर की जा रही

विशिष्ट वित्तीय आवंटन को दर्शाती है। यह बजट सार्वजनिक जन का लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर आवंटन को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम आदि तक सीमित न करते हुए अन्य विभागों एवं क्षेत्रों में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

जेंडर बजटिंग का लक्ष्य:

- जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास
- राजकोषीय योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना
- महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार के विभिन्न नीतियों का विश्लेषण शामिल करना
- बजट प्रक्रिया में जेंडर उत्तरदायी भागीदारी को बढ़ाना
- लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाना
- मुख्य बजट के लिंग आधारित परिणामों को ज्ञात करने हेतु बजट का विभक्तीकरण
- लैंगिक वचनबद्धता को बजटीय वचनबद्धता में परिवर्तित करना
- स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण इत्यादि विभागों में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार के बजट का अंश निर्धारित करना एवं
- सुचारु एवं सकारात्मक बजटीय प्रबंधन द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाना

बिहार में महिलाओं के विकास के संकेतक :-

तालिका-1

बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक

क्र.	संकेतक	बिहार		भारत		स्रोत
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	कुल आबादी (करोड़) (2011)	5.4	5.0	62.3	58.7	जनगणना 2011
2	लिंग अनुपात—सभी आयुवर्ग (2011)	1000	918	1000	943	
3	बाल लिंग अनुपात (0—6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919	
4	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.5	19.1	53.3	25.5	
5	साक्षरता दर (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6	
6	साक्षरता दर (7—18 वर्ष) (2011)	81.66	76.25	89.68	86.76	

बाल लिंग अनुपात में, भारत (919) की तुलना में बिहार का बाल लिंग अनुपात (935) ज्यादा है। उपर्युक्त सूचक बिहार में महिलाओं की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करता है। परन्तु अन्य कई मामलों में जैसे लिंग अनुपात (सभी आयु-वर्ग) (918), कार्य सहभागिता दर (19.1) में उनकी स्थिति आज भी गंभीर है, जिसके सुधार हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

तालिका-2

बिहार में महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक संकेतक :

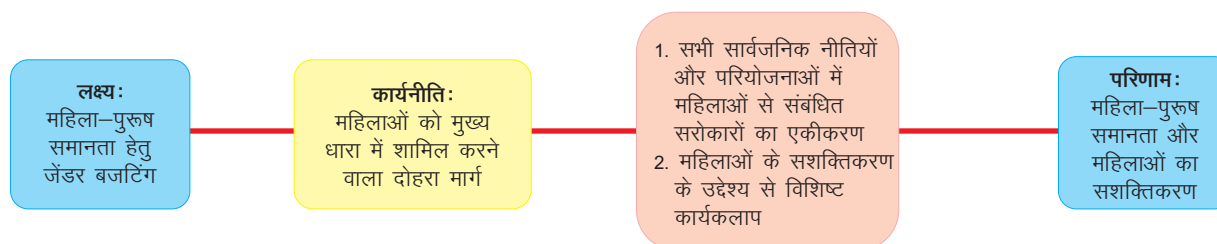
क्र. सं.	सूचक	2019-20	2015-16	वृद्धि/कमी	स्रोत
शैक्षणिक सूचक					
1	साक्षर (%)	57.8	49.6	8.2	NFHS
2	10 वर्ष या उससे अधिक की स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं (%)	28.8	22.8	6.0	NFHS
स्वास्थ्य सूचक					
3	संस्थागत जन्म (%)	76.2	63.8	12.4	NFHS
4	सामान्य से नीचे बॉडी मास इंडेक्स (15-49 वर्ष)	25.6	30.4	-4.8	NFHS
5	15-49 वर्ष आयु के सभी लोग जो एनीमिक हैं	63.5	60.3	3.2	NFHS
सशक्तीकरण सूचक					
6	वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	86.5	75.2	11.3	NFHS
7	घर या जमीन की मालिक महिलाएं (अकेली या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) (%)	55.3	58.8	-3.5	NFHS
8	महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	76.7	26.4	50.3	NFHS
9	महिलाओं के पास मोबाइल फोन जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	51.4	40.9	10.5	NFHS

उपरोक्त सूचक बताते हैं कि इन दो समयावधियों, 2015-16 और 2019-20 के बीच, बिहार में महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। परंतु चिंता का विषय केवल स्वास्थ्य के कुछ संकेतक हैं, जहां या तो मामूली सुधार हुआ है या गिरावट आई है। यह निश्चित है कि आनेवाले वर्षों में महिलाओं की योजनाओं में उचित आवंटन और व्यय के साथ इस अंतर को भी पूरा कर लिया जाएगा।

बिहार में जेंडर बजटिंग

बिहार सरकार हमेशा लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। राज्य की नीतियां, लड़कियों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति का स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार ने हमेशा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया है। बिहार में जेंडर बजटिंग प्रक्रिया इसी दिशा में एक कदम है। बिहार में 2008-09 से जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जेन्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। जेंडर बजटिंग का तात्पर्य जेंडर लेंस से बजटीय नीतियों और बजट का आवंटन-व्यय देखने की एक विधि से है। जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन को समुचित रूप से समाहित करना है। अच्छी तरह से तैयार की गई राजकोषीय नीति कोविड-19 जैसी महामारी के नकारात्मक लिंग प्रभावों को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अतः जेंडर बजट दस्तावेज (2022-23) संबंधित विभागों को भविष्य में महिला संबंधी नीतियों को बनाने में मदद करेगी।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला-पुरुष समानता



जेन्डर बजट के अंतर्गत योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया है :

- श्रेणी-ए में वैसी योजनाएं होती हैं जिनमें शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान महिलाओं के लिए होता है।
- वहीं श्रेणी-बी में वैसी योजनाएं होती हैं जिनमें 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक और 100 प्रतिशत से कम राशि महिलाओं पर व्यय की जाती है।

श्रेणी-ए	100% व्यय महिलाओं पर	योजनाएं एवं कार्यक्रम जिनका पूर्ण आवंटन एवं व्यय महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण पर होता है।
श्रेणी-बी	30% और उससे अधिक परन्तु 100 % से कम व्यय महिलाओं पर	इन में वे योजनाएं होती हैं जिनमें कुछ घटक महिलाओं एवं लड़कियों की होती हैं जो कि 30-99% के बीच होती है।

जेंडर बजट का विश्लेषण तीन भागों में किया जाता है :

- वास्तविक व्यय :** विभागों द्वारा महिलाओं पर वर्ष 2020-21 में किया जाने वाला वास्तविक व्यय।
- पुनरीक्षित व्यय :** मध्य वर्ष की समीक्षा के बाद वर्ष 2021-22 के लिए बाकी सेवाओं पर व्यय का आंकलन।

- **बजट प्राक्कलन :** पूर्व बजट प्रस्तुति के संभावित व्यय एवं प्राप्तियों का रुझान के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए पुर्वानुमान

महिलाओं को लक्षित विशिष्ट योजनाएं : वैसी योजनाएं, जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लिए है।

महिला-समर्थित योजनाएं : वैसी योजनाएं, जिनमें कम-से-कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं पर किया जाता है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा लागू की गई वैसी योजनाएं हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं या लड़कियों को लाभान्वित करती हैं। योजना के उद्देश्य, आउटपुट-सह-परिणाम के आधार पर महिलाओं या लड़कियों को लाभ के मूल्यांकन का मापक एवं विश्लेषण जेंडर बजटिंग है, जो पथ प्रदर्शक के रूप में जेंडर समानता को और सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। नीचे दी गई तालिका में छह सालों का ब्योरा प्रस्तुत है। महिलाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस तरह से प्रतिदर्शित होती है कि हर साल महिला पर आवंटन की लगातार वृद्धि हुई है।

जेंडर बजट : महिलाओं के लिए आवंटित कुल संसाधन

(राशि करोड़ में)

Details	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Outlay for Women (BE)	20615.40	25573.80	30874.49	33176.27	34490.56	36657.03
Total Size of State Budget (BE)	160085.69	176990.27	200501.01	211761.00	218302.70	237691.19
Share (%) outlay for women in the state budget of Bihar	12.90	14.45	15.40	15.66	15.80	15.00
Outlay for Women as Percent of GSDP	4.2	4.96	5.39	4.83	4.56	5.00

Source: Department of Finance, Govt. of Bihar

जेंडर बजट का उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय आवंटन को दिखाना है जिसका उपयोग विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

महिला विकास के प्रयास

महिलाओं का सशक्तीकरण एक सामाजिक-राजनीतिक बुनियाद है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को घर के भीतर और बाहर निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ उनकी पूरी क्षमता, अवसरों, संसाधनों और विकल्पों तक पहुंच के उनके अधिकारों का एहसास कराती है। सशक्तीकरण तभी प्राप्त होगा जब महिलाओं की स्थिति में उन्नति के साथ-साथ जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसरों के माध्यम से प्राप्त सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की उनकी क्षमता हो। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 के तहत गरीबी, असमानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी चुनौतियों का अच्छी तरह से समाधान वैश्विक सफलता का एक प्रमुख लक्ष्य है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए अनेक नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय सुधारों के पहल के फलस्वरूप बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव हो सका है। राज्य में समता मूलक, सतत विकास की प्रक्रिया तथा समाज की मुख्य धारा में महिलाओं को जोड़ने तथा उनके विरुद्ध हो रहे भेदभावों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कई प्रयास किए हैं।

राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पंचायती राज, नगर निकाय आदि में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था देने से उन्हें राजनीतिक योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है।

राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनके सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार दृढ़ प्रतिज्ञा है, इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, बालिकाओं में औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, हर घर बिजली योजना, राज्य महिला सशक्तीकरण नीति 2015, जिसके अंतर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिला हेल्पलाइन योजना, अल्पावास गृह, सामाजिक जागरूकता, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, वनस्टॉप सेंटर योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि प्रयासों के माध्यम से महिलाओं/बालिकाओं के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं।

इस सन्दर्भ में विगत वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों के उपलब्धियों का उल्लेख भी किया जाना प्रासंगिक है :-

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव बल को सुदृढ़ करने एवं अबतक बिहार राज्य में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में कुल 6316 एएनएम एवं वर्ष 2020 में 5189 स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' की विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्ति की गई है। वर्ष 2021 में 9594 एएनएम एवं 4033 स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' की नियमित नियुक्ति की जानी है।
- 517 (97%) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- बिहार के सात निश्चय-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रति छात्रा 25,000 रु. की दर से एवं स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रति छात्रा 50,000 रु. की दर से उनके बैंक खाता में राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
- अक्टूबर 2, 2017 को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। महिला विकास निगम एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला जैसी मुहिम चलाई गई।
- बिहार आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2016 के लागू होने से पूरे राज्य में शराब के उपयोग व बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं के प्रति होनेवाले अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ ही आधी आबादी का पूर्ण समर्थन भी मिला है। पूर्ण शराब-बंदी कानून लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है।
- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 'समाज सुधार अभियान' अंतर्गत राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन तथा बाल विवाह मुक्ति अभियान आरंभ किया गया है।
- जीविका परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाली महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन की तैनाती एवं राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित किया गया है।
- बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015 के स्वाभाविक क्रियान्वयन के लिए अप्रैल, 2016 में जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई और इसे समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए राज्य आधारित प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया। यह कार्यशाला, साक्ष्य आधारित नवाचारी

अनुसंधान, प्रचार सामग्री तथा प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा लाभुकों तक उन योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य आधारित ज्ञान प्रबंधन इकाई एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्यरत है।

- समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों को लागू किया है, जिनमें तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं— (क) बिहार कृषि रोडमैप III (2017 – 2022), (ख) बिहार कौशल विकास मिशन एवं (ग) सात निश्चय।

कोरोना प्रबंधन

- हल्के लक्षण वाले मरीजों हेतु 200 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर की स्थापना की गई थी, जिनमें कुल 13674 बिस्तर की क्षमता थी तथा सभी सुविधाओं के साथ 11162 बिस्तर कोरोना मरीजों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध थे। इन सभी बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अथवा गैस पाइप के माध्यम से मेडिकल ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई थी।
- गंभीर रूप से बीमार मरीजों हेतु 12 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी, जिनमें 5024 बिस्तर की क्षमता थी तथा 3992 बिस्तर सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ उपलब्ध थे। इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलों में मरीजों के इलाज हेतु पर्याप्त संख्या में आइसीयू बेड तथा वेन्टीलेटर उपलब्ध कराए गए।
- कोविड पॉजिटिव पाए गए ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में थे, के स्वास्थ्य का अनुश्रवण आशा, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, टेली मेडिसीन तथा 104 टॉल नंबर तथा जिलों में स्थापित चिकित्सकीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से कराया गया। होम आइसोलेशन के दौरान उन्हें आवश्यक दवाओं, दो मास्क, चिकित्सकीय सलाह पर्ची आदि का एक किट दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा एक महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया।
- अभी तक 31 दिसंबर, 2021 कुल 100,029,626 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
- कोविड 19 टीकाकरण पूरी तरह पोर्टल आधारित है तथा इसके पंजीकरण एवं टीकाकरण संबंधित सभी कार्रवाई CO-WIN पोर्टल पर ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- कोविड 19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-कन्टेन्ट के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन, बिहार (मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय) पर प्रतिदिन 5 स्लॉट (एक-एक घंटा का एक स्लॉट) में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गई। राज्य में ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था 20 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ की गई है।
- कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयवार पाठ्य-पुस्तकों को बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। सभी पाठ्य-पुस्तकें विद्यावाहिनी नामक मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान जेंडर बजट का अवलोकन

(राशि लाख रु. में)

विभाग का नाम	2020-21 (BE)		2021-22 (BE)	
	बजट	महिलाओं पर व्यय	बजट	महिलाओं पर व्यय
कृषि विभाग	233363.59	70018.11	274581.43	82399.75
भवन निर्माण विभाग	48800.00	21440.00	58900.00	20870.00
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6189.76	1877.59	6445.09	1957.03
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	174526.41	79108.49	183534.09	88836.50
पंचायती राज विभाग	42700.00	21350.00	59700.00	29850.00
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	39143.00	0.00		
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	57135.00	19239.29	24008.00	8028.59
स्वास्थ्य विभाग	419653.69	242762.97	472497.26	269080.14
शिक्षा विभाग	2970485.52	939256.94	3157142.31	1091009.54
गृह विभाग	40973.12	50.00	50.00	50.00
उद्योग विभाग	66900.00	12894.00	109155.00	39389.50
श्रम संसाधन विभाग	27845.00	9648.51	26995.00	9288.51
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	38600.00	15720.00	39100.00	15870.00
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	208323.00	73496.90	194765.00	58429.50
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	7050.00	7050.00	7355.00	7355.00
ग्रामीण विकास विभाग	1604312.00	1294540.40	1480718.00	1259740.60
विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	13245.24	13245.24	14856.84	14856.84
अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण विभाग	170517.65	60895.58	163962.69	58536.85
पर्यटन विभाग	20800.00	10400.00	15500.00	7500.00
नगर विकास एवं आवास विभाग	339559.92	102052.96	336459.95	101231.00
समाज कल्याण विभाग	715578.13	454009.10	812295.17	501423.81
कुल योग	7245701.03	3449056.08	7438020.83	3665703.17

नोट :-बजट में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है, जिनमें जेडर बजट के आंकड़ें सम्मिलित किए गए हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष (2022-23) में महिलाओं के लिए किए जानेवाले कुल व्यय में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महिला एवं बालिकाओं के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाएँ

जेंडर बजट दस्तावेज महिला एवं बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से महिलाओं के कल्याण और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभाग महिला केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। ऐसी योजनाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के महिलाओं को लाभ देने के लिए लक्षित किया जाता है। कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रशिक्षण एवं महिला विकास निगम इत्यादि के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र में रखकर विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जानेवाली योजनाओं की विवरणी निम्नांकित है :-

समाज कल्याण विभाग

1. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000.00 (साठ हजार) रुपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय 5000.00 (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण के माध्यम से लाभुकों के खाते में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 62586 लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया गया है।

2. राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :

राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर, आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक: 16.10.2014 को उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा का शुभारंभ किया गया है।

3. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात को संतुलित करने, जन्म निबंधन को बढ़ावा देने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारम्भ किया गया है। इसमें कन्या के जन्म से स्नातक शिक्षा तक सरकार द्वारा बालिकाओं को निम्न रूप से सहायता राशि दी जाती है—

i.	कन्या के जन्म पर	— ₹0 2,000 /—
ii.	कन्या के एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आधार पंजीकरण कराने पर	— ₹0 1,000 /—
iii.	कन्या के दो वर्ष पूर्ण होने पर (टीकाकरण उपरांत)	— ₹0 2,000 /—
iv.	वर्ग 1-2 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	— ₹0 600 /—
v.	वर्ग 3-5 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	— ₹0 700 /—
vi.	वर्ग 6-8 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	— ₹0 1,000 /—
vii.	वर्ग 9-12 (पोशाक) के लिए प्रतिवर्ष	— ₹0 1,500 /—
viii.	वर्ग 7-12 (किशोरी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सेनेटरी नैपकीन हेतु) प्रतिवर्ष	— ₹0 300 /—

ix.	इन्टरमीडिएड उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	— ₹0 25,000 /—
x.	स्नातक उत्तीर्ण करने पर (अविवाहित)	— ₹0 50,000 /—

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक 3,52,270 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।

4. महिला विकास निगम :

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के विकास तथा सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम, बिहार का गठन किया गया है। महिला विकास निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित गतिविधियां निर्धारित की गई हैं।

- आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीर्घकालीन आजीविका निर्माण को प्रोत्साहन,
- महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास व प्रोत्साहन,
- महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता एवं क्षमता विकास,
- सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहन तथा क्षमता विकास,
- सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं के साथ सहभागिता,
- महिला संबंधित अधिनियमों का कार्यान्वयन।

5. बाल सहायता योजना :

कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जून 2021 से बाल सहायता योजना प्रारंभ किया गया है। कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0-18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गयी हो, वे इस योजना के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चे जो गैर संस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हो, को 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु उनके निकटतम अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में 1500/- (पन्द्रह सौ) रुपये प्रतिमाह अनुदान राशि देय होगा। इस योजना में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत अब तक कुल 62 बच्चों को योजना से जोड़ा गया है। इस योजना अंतर्गत योग्य बच्चों को माह जनवरी 2022 तक अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

6. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

यह एक समेकित योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण को पूरा करना है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का आच्छादन राज्य के सभी 38 जिलों में है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नवत हैं :

(क) महिला हेल्पलाइन : राज्य के सभी जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य समाज की पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को संरक्षण प्रदान करना, परामर्श के द्वारा परिवार टूटने से बचाना आदि है। महिला हेल्पलाइन में उपलब्ध सभी सेवाएँ निःशुल्क दी जाती हैं।

(ख) अल्पावास गृह : महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद-फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु 12 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है। अब तक कुल 674 संवासिनों को निबंधित किया गया जिसमें से 670 संवासिनों को पुनर्वासित किया गया।

(ग) 181 टॉल फ्री महिला हेल्प लाईन नंबर: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से महिला एवं बाल विकास निगम मुख्यालय में 24x7 कॉल की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 181 टॉल फ्री महिला हेल्प लाईन नंबर की व्यवस्था की गयी है।

7. वन स्टॉप सेंटर योजना :

महिलाओं एवं किशोरियों को परामर्श एवं अल्पकालीन आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। इसका संचालन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को एक ही छत के नीचे, परामर्श, आवासन, विधिक सहायता, पुलिस और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

8. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :

यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है। इसका वार्षिक आवंटन प्रति जिला ₹0 50.00 लाख की राशि सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाती है।

उद्देश्य :

- बाल लिंगानुपात में सुधार करना,
- बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना,
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना

9. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त ₹0 5000/- का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक-01.01.2017 से बिहार के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश राशि मद में ₹0 2934.29 लाख तथा राज्यांश राशि मद में ₹0 6956.20 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 2317876 लाभार्थी को योजना का लाभ दिया गया है।

10. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम :

भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस नई योजना को लागू किया गया है। पूर्व से संचालित राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के स्थान पर राष्ट्रीय क्रेच स्कीम आंगनबाड़ी सेवायें के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी।

11. समेकित बाल विकास योजना (स्थापना-आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना सहित) :

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहु-आयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती हैं।

12. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (‘सबला’):

यह राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित है। इसके तहत 11-14 वर्ष के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में गैर-पोषण (60:40) एवं पोषण मद का अनुपात (50:50) निर्धारित है। इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।

13. आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना :

यह शत प्रतिशत राज्य योजना है। राज्य के कुल स्वीकृत 544 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को वित्तीय वर्ष 2018-19 से ₹0 400/- प्रति बच्चा वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोशाक उपलब्ध कराने हेतु ₹0 11919.21 लाख का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 3770466 बच्चों को योजना का लाभ दिया गया है।

14. परवरिश :

परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत लक्षित समूहों 0-18 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों को समाज में बेहतर पालन-पोषण एवं उनकी गैर संस्थानिक देख-रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में 1000.00 ₹0 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

इस योजना की पात्रता निम्नवत है:

- (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय 60000.00 रुपये से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।
- (ख) एच.आई.वी.(+) एड्स या Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग एवं कैंसर रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

इसके अतिरिक्त इस योजना की पात्रता में संशोधन करते हुए वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने गये हैं, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों, परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 12830 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है।

15. पूरक पोषाहार :

राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वीकृत एवं संचालित 1,14,718 आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों/सभी गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती/प्रसूति महिला को 9.50 रुपये की दर से प्रतिदिन निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 9708969 बच्चों को योजना का लाभ दिया गया है।

16. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60-79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को ₹0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें ₹0 200/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं ₹0 200/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु-वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को ₹0 500/-प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।

17. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 वर्ष आयु-वर्ग की विधवा महिला को ₹0

400/-प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रु0 300/-केन्द्र सरकार द्वारा एवं रु0 100/-राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

18. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रु0 400/-प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रु0 300/-केन्द्र सरकार द्वारा एवं रु0 100/-राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।

19. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रु0 60,000/- से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों, परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रु0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इसमें शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

20. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :

यह शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना है। इसके अन्तर्गत 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु होने पर उसके आश्रित को एकमुश्त रु0 20,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 2840 आश्रितों को योजना का लाभ दिया गया है।

21. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रु0 20,000/- की सहायता दी जाती है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 1067 आश्रितों को योजना का लाभ दिया गया है।

22. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को रु0 3000/- की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत e-suvidha पोर्टल के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 23724 लाभार्थी को योजना का लाभ दिया गया है।

23. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :

इस योजना के अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रु. 1500/- प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 12560 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है।

24. बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना :

एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रु0 1500/-प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 48715 लाभार्थी को योजना का लाभ दिया गया है।

25. मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :

इस योजना के तहत निःशक्त पुरुष/महिला तथा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के माध्यम से रु. 1,00,000/- अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है जिसकी अवरुद्धता अवधि तीन वर्ष की होती है।

इस योजना में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना सन्निहित है। अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा, यदि ऐसे विवाह में पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों तो दोनों को अनुदान देय होगा। इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरणतया— यदि पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अंतर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह, दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात् अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।

26. ओल्ड एज होम (सहारा) :

वृद्धों के पुनर्वास के लिए “ओल्ड एज होम” (सहारा) का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के पाँच जिलों यथा—पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं पश्चिमी चम्पारण में किया जा रहा है।

27. मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना :

मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृत्ति के अभिशाप से मुक्त करना है। इस योजना का उद्देश्य भिक्षुओं की पहचान कर उन को पहचान-पत्र वितरित करते हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध/पूर्णतः निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में पाए जानेवाले भिक्षुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराना है।

28. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) :

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार-विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है।

29. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना ‘सम्बल’ :

इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण का निःशुल्क वितरण, स्वरोजगार ऋण, मानसिक विकलांग बच्चों तथा दृष्टिहीन एवं मूक बधिर बालिकाओं हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय का संचालन, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण आदि किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1. अनु. जाति एवं अनु. जनजाति छात्रवृत्ति योजना :

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। इस योजना के तहत विद्यालय छात्रवृत्ति का दर निम्नवत है :-

i.	वर्ग 1-4 के लिए प्रतिमाह	— ₹0 50 /—
ii.	वर्ग 5-6 के लिए प्रतिमाह	— ₹0 100 /—
iii.	वर्ग 7-10 के लिए प्रतिमाह	— ₹0 150 /—
iv.	छात्रावासी वर्ग 1-10 तक के लिए प्रतिमाह	— ₹0 250 /—

2. **मुख्यमंत्री अनु. जाति एवं अनु. जनजाति मेधावृत्ति योजना :**

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें 10,000 /— ₹0 एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्रा को 8000 /— ₹0 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं को क्रमशः 15000 /— ₹0 एवं 10000 /— ₹0 प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

3. **आवासीय विद्यालय :**

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 66 तथा अनु0 जनजाति छात्रों के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 36 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं। अनु0 जनजाति के लिए दो एकलव्य आवासीय विद्यालय यथा— बेलाटाड़ी, प0 चम्पारण एवं आस्ता, जमुई जिला में स्वीकृति दी गयी है तथा 720 आवासन वाले पांच अनुसूचित जनजाति आवासीय—सह—शिक्षा विद्यालयों क्रमशः किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया जिला में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

4. **छात्रावास :**

वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवासन की सुविधा हेतु छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में अनु0 जाति के छात्राओं के लिए 7 एवं अनु0 जनजाति के छात्राओं के लिए 1 छात्रावास संचालित हैं।

5. **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :**

अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं यथा बैंकिंग, रेलवे इत्यादि में सफल होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु 10 प्राक् प्रशिक्षण केन्द्र यथा पटना, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णियाँ जिला में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें GMAT/CAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है।

6. **अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सहायता :**

राज्य सरकार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु संवेदनशील है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 हैं। इस अधिनियम के तहत दर्ज थाना काण्डों में नियम-12(4) के तहत अत्याचार के पीड़ित/आश्रित को राहत मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा नियम-15(1) के तहत योजना तैयार कर निर्धारित सभी स्तरों यथा— प्राथमिकी दर्ज होने पर/आरोप पत्र समर्पित करने पर/माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर मुआवजा भुगतान की राशि की अवधि 24 घंटा निर्धारित है।

7. **महादलित विकास मिशन :**

महादलितों के विकास हेतु सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है। महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई

प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समूह (शहरी) में एक-एक विकास मित्र चयन किया जाता है। विकास मित्रों हेतु कुल-9875 पद स्वीकृत हैं इसमें 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में 9466 विकास मित्र कार्यरत हैं। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। महादलित परिवारों के लिए शौचालय योजना का संचालन किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए विशेष विद्यालय- सह-छात्रावास भी संचालित है इसका कार्यान्वयन गैर सरकारी संस्था प्जारी गुजण के द्वारा पटना एवं गया में किया जा रहा है। विशेष विद्यालय-सह-छात्रावास योजना के तहत पटना में 139 महादलित छात्राओं एवं गया में 91 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

1. **अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को दिनांक- 01.04.2012 से पुनरीक्षित दर कक्षा-1 से 4, रू0 50/- प्रति माह, कक्षा- 5 से 6, रू0 100/- प्रति माह, कक्षा-7 से 10 रू0 150/- प्रति माह तथा छात्रावासी (कक्षा 1 से 10) को रू0 250/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

2. **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :**

इस योजना के तहत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा रू0 1.50 लाख थी, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रभाव से 2.50 लाख कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में इस योजना के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा नेशनल इंफोरमेटिक सेन्टर (NIC) के माध्यम से PMS Online Portal द्वारा आवेदन आमंत्रित की जाती है।

3. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :**

राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2008-09 से एक नई योजना "मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

4. **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :**

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एक नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" प्रारम्भ की गयी है।

इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,50,000 रुपये मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र/छात्रा रू0 10,000 / – (रुपये दस हजार मात्र) एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

5. पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास :

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया-सह-सेवक की सेवाएँ, रोशनी, वर्तन इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है।

6. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना :

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0 / बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना मद में बजट प्रावधान से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के आठ जिलों यथा- (1) पटना (2) गया (3) मुजफ्फरपुर (4) भागलपुर (5) दरभंगा (6) छपरा (7) आरा एवं (8) मधेपुरा में स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के सात अन्य जिलों में यह योजना लागू की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 23 अन्य जिलों में एक-एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के प्रत्येक जिलों में एक-एक केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जा रही है।

7. जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास :

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले “जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण योजना” के अंतर्गत छात्रावास निर्माण कराने की योजना प्रारंभ की गयी है।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय :

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें वर्ग-6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं, जिसका स्वीकृत छात्रबल प्रति विद्यालय 280 है। छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क आवासन एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

9. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है।

10. छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रतिमाह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की जाती है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक डोर स्टेप डिलीवरी योजना 2016 के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

11. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

वर्तमान में संचालित अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित 2.50 लाख से अधिक एवं 3.00 लाख मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

12. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु ₹50,000/- एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले विद्यार्थियों को ₹1,00,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1. अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण योजना :

अल्पसंख्यक समुदाय के अध्ययनरत छात्राओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पटना, गया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मधेपुरा एवं किशनगंज जिलों में कुल 10 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास संचालित हैं।

2. मुफ्त कोचिंग योजना :

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 से कोचिंग योजना शुरू की गई है। वर्तमान में पटना एवं दरभंगा जिले में कोचिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

3. मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना :

राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एकमुश्त 10000/- ₹0 की दर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 25000/- ₹0 कर दिया गया है।

4. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को, जो आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, उन्हें 10000/- ₹0 एवं शैक्षणिक वर्ष 2014 से इन्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15000/- ₹0 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी (इन्टर) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15000/- रु० एवं फौकानिया (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10000/-रु० प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बंगला भाषा रख कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

5. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना :**

सुशासन कार्यक्रम के तहत "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना" अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रु० से अधिक न हो, को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि० के माध्यम से 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वरोजगार हेतु अधिकतम 5 लाख रु० तक ऋण राशि प्रदान की जाती है।

6. **मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना:**

अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना वर्ष 2008-09 से स्वीकृत है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के नव-युवक एवं नव-युवतियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है।

7. **राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :**

केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित कोटे से बच गए योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई है।

8. **प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम (पूर्व में अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम):**

इस योजना के तहत राज्य के चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखण्डों एवं नगर निकायों में आधारभूत संरचना यथा-विद्यालय भवन, छात्रावास, परीक्षा भवन, पुस्तकालय भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह, आशा विश्रामगृह, शौचालय, सदभाव मंडप आदि का निर्माण किया जा रहा है।

9. **केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति) :**

इस योजना के तहत केन्द्र प्रायोजित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तान्तरण किया जाता है।

शिक्षा विभाग

1. **नगर/पंचायत/जिला परिषद शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी :**

स्थानीय निकायों के नगरपालिकाएं, पंचायतों, प्रखंडों, जिला परिषदों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा/सम्मान में वृद्धि हुई है और उनकी भागीदारी से उनमें आयवर्द्धक नेतृत्व विकास की भावना विकसित हो रही है। यह योजना महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

2. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :**

बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की

शुरुआत की है। यह योजना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं के लिए लागू की गयी है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 2 की छात्राओं के लिए 600/— रु0 की दर से, कक्षा 3 से 5 की छात्राओं के लिए 700/— रु0 की दर से एवं कक्षा 6 से 8 की छात्राओं के लिए 1000/— रु0 की दर से राशि दिये जाने का प्रावधान है।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा की छात्राओं को प्रति छात्रा 1500/—रु0 की दर से राशि दी जा रही है।

3. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :**

राज्य सरकार ने परिवारों एवं समुदायों की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकालने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साईकिल योजना की शुरुआत जून 2007 में की। इस योजना ने गाँवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभायी है। किशोरवय की जिन लड़कियों को इच्छा के बावजूद पहले बीच में पड़ाई छोड़ देनी पड़ती थी, ऐसी वर्ग 09 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 3000/— रुपये की राशि साईकिल खरीदने के लिए प्रदान की जाती है। इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होती है और दूर-दराज इलाके की बालिकाएँ भी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने से पीछे नहीं रही है। यह योजना महिलाओं के शिक्षोत्थान में क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है।

4. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा अभियान) :**

बिहार सरकार ने प्रत्येक पंचायत को माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इस केन्द्र प्रायोजित योजना द्वारा मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करते हुए इस कोटि में लाया जा रहा है। इस योजना के तहत 14 से 18 आयु-वर्ग के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा सुगमतापूर्वक प्रदान करना है। सामाजिक, आर्थिक एवं लिंग भेद विषमता को दूर करना, छात्रों के गुणात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि उक्त योजना के कार्यान्वयन से विद्यालयों में माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़े। बालिका छात्रावास में बालिकाओं के अध्ययन की एवं उनकी सुरक्षा का ध्यान भी इस योजना का उद्देश्य है।

5. **मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना :**

इस योजना द्वारा विद्यालयों में नामांकित 12 वर्ष से अधिक उम्र की सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु 300/— रु0 प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोचपन को बहुत हद तक दूर कर दिया है।

6. **बिहार बाल भवन किलकारी योजना :**

बाल भवन “किलकारी” वर्ष 2008 से बच्चों के सृजनात्मक विकास के लिए संचालित है। इस योजना में 08—16 वर्ष के बच्चों को 25 प्रकार की गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है, ताकि लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव न रहे। लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में लाने में किलकारी एक महत्वाकांक्षी योजना बन गई है।

7. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य/पिछड़ा/अल्पसंख्यक/अत्यंत पिछड़ा/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की छात्राओं को इस योजना के तहत प्रति छात्रा 10,000/- रुपये की दर से उनके खाते में राशि उपलब्ध करायी जाती है।

इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में 25,000/- रु0 प्रति छात्रा तथा स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में 50,000/- रु0 प्रति छात्रा की दर से उपलब्ध करायी जाती है।

8. बालिका छात्रवृत्ति योजना:

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्कर्मित सहित)/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत/मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य कोटि के छात्राओं को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वर्ग 1 से 4 के लिए 50/- रुपये प्रतिमाह, वर्ग 5 से 6 के लिए 100/- रुपये प्रतिमाह एवं वर्ग 7 से 10 के लिए 150/- रुपये प्रतिमाह की दर से राशि दिया जाना प्रावधानित है। इस योजना से छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी की प्रतिशतता काफी बढ़ी है।

9. मध्याह्न भोजन योजना:

इस योजना के तहत वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों के लिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस योजना ने सामाजिक समरसता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन दर को काफी बढ़ा दिया है, जिससे सरकार उत्साहित होकर दिन प्रतिदिन इसमें आशातीत सुधार जैसे मेनू आदि में कर रही है। असमानता, जातिवाद एवं आर्थिक विषमता की भावना को मिटाने में यह योजना लाभकारी रही है।

10. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभिवंचित वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन:

“शिक्षा का अधिकार अधिनियम” के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार वैसे विद्यालय को अनुदान देती है। इस योजना से समाज के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग की छात्र एवं छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं।

11. कराटे प्रशिक्षण:

राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/बुनियादी विद्यालयों में बालिकाओं को आत्म-रक्षार्थ कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि के अन्तर्गत आने वाली इस योजना के द्वारा बालिकाओं में हीन भावना दूर भागती है तथा शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्तर पर वे अपने आपको मजबूत बनाती हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा लड़कियाँ छेड़खानी करने वालों से आत्मरक्षा कर सकती हैं।

12. सब जुनियर (स्पोर्ट्स मीट-तरंग) :

प्राथमिक शिक्षान्तर्गत जूनियर बच्चों के खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए “तरंग” कार्य कर रही है। यह समाज के अभिवंचित वर्ग की छात्र/छात्राओं के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। बिहार सरकार इस “तरंग” कार्यक्रम के आयोजन में अनुदान देती है।

13. प्रौढ़ शिक्षा :

साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इस योजना द्वारा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाकर साक्षर महापरीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इससे साक्षरता बढ़ी है। इसके अलावा भारत साक्षरता मिशन भी एक लाभकारी आयोजन है। इसका उद्देश्य भी साक्षरता दर को ऊँचा उठाना है।

14. समग्र शिक्षा अभियान :

राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो इस दिशा में सरकार की चल रही योजनाओं को अमली जामा पहनाने में समग्र शिक्षा अभियान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र/छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। इस योजना के द्वारा स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाने, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं प्रत्येक विद्यालय को शौचालय-युक्त बनाने के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है।

15. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय :

राज्य सरकार महिलाओं के अध्ययन के लिए काफी प्रयासरत है। आज राज्य में विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना महिलाओं के लिए अलग से की जा रही है। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्म निर्भर बनाने में सहायनीय रहा है।

16. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय :

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित समूहों, अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना से बालिकाएँ भी अब अपने घर से दूर विद्यालय में ही एक शैक्षणिक वातावरण में रह सकती हैं।

17. आई. सी. टी. परियोजना :

इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस परियोजना में राज्य के बालक/बालिकाओं को मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके द्वारा एक ओर लड़कियों में समानता की भावना पनप रही है तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं।

18. राजकीय महिला महाविद्यालय :

राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग तथा गर्दनीबाग की स्थापना की गयी है।

19. उन्नयन कार्यक्रम योजना :

इस कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा, स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं से विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन कराने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

20. मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना :

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु रु० 20,000/-

(बीस हजार) की दर से प्रत्येक विद्यालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यावहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन बढ़ाना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण से छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास एवं ज्ञान की वृद्धि हो रही है।

21. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम :

मुख्यमंत्री के सात निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं को बल' के अंतर्गत राज्य के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिकतम ₹0 400000/- (चार लाख) तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है। इसके तहत छात्रों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा छात्राओं एवं दिव्यांगों के लिए सिर्फ 1 प्रतिशत की दर पर ब्याज देय है।

स्वास्थ्य विभाग

1. आदर्श दम्पति योजना:

राज्य में "आदर्श दम्पति योजना" के नाम से एक योजना मई, 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को लक्षित दम्पतियों को निम्नांकित परामर्श देने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है :

- आशा द्वारा नवविवाहित दम्पतियों को उत्प्रेरित कर शादी के दो वर्ष के पश्चात् पहले बच्चे का जन्म सुनिश्चित कराने पर आशा को ₹0 500/- देय है।
- आशा द्वारा एक संतान वाले दम्पतियों को उत्प्रेरित कर पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल सुनिश्चित कराने पर ₹0 500/- पुनः आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।
- आशा द्वारा दो बच्चों वाले दम्पतियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन की स्थायी विधि सुनिश्चित कराने पर अतिरिक्त ₹0 1000/- आशा को प्रोत्साहन राशि देय है।

2. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना:

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना को राज्य में जुलाई, 2006 से प्रारंभ किया गया है।

प्रत्येक संस्थागत प्रसव पर ग्रामीण क्षेत्रों में ₹0 1400/- प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को ₹0 600/- (01 अप्रैल, 2013 से लागू) तथा शहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को ₹0 1000/- व आशा/आंगनबाड़ी सेविका को ₹0 400/- की प्रोत्साहन राशि देय है।

3. ममता कार्यक्रम :

इसमें अनुसूचित जाति विशेषकर रविदास समूह की महिलाएँ होती हैं, जो मुख्यतः गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु की देख-रेख एवं अन्य सुविधा देने हेतु नियुक्त की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति प्रसव ₹0 300/- प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

4. आशा कार्यक्रम:

इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं का चयन होता है। सामान्यतः एक हजार की आबादी अथवा एक आंगनबाड़ी केन्द्र में एक महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहती है। इनको पारिश्रमिक के तौर पर एन0आर0एच0एम0 के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।

ग्रामीण विकास विभाग

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :

वित्तीय वर्ष 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृह-विहीन लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। गृह निर्माण हेतु सामान्य जिलों के लिए ₹0 120000/- एवं एकीकृत कार्य योजना (IAP District) वाले जिलों के लिए ₹0 130000/- की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना :

01.01.1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार, जो आवास योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास का लाभ पाने से वंचित हैं तथा जिनका घर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनके आवासों के पुनर्निर्माण हेतु ₹0 120000/- की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

3. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना :

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रतीक्षा सूची में शामिल वास-स्थल विहीन अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 60,000/- ₹0 तक के वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

4. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (जीविका) :

यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी.आर.एल. पी.एस.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का गठन कर संस्थागत क्षमता विकसित कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस परियोजना का कार्यान्वयन कुछ ही जिलों में किया जा रहा था। लेकिन अब इसका राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :

सक्षम बिहार एवं स्वावलंबी बिहार अंतर्गत 7 निश्चय 2 में लक्षित स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से समुदायों का व्यवहार परिवर्तन एवं नये परिवारों/छुटे हुए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों की शुलभता तथा चरणबद्ध तरीकों से ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन द्वारा राज्य के सभी गांव को ODF+ बनाया जाना है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. अभियान बसेरा कार्यक्रम :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय वास भूमिहीन परिवारों/व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सुयोग्य श्रेणी यथा- अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I एवं अनुसूची-II) के वास भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार 05 डिसमिल की दर से वास हेतु भूमि/भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर बी.पी.पी.एच.टी. एक्ट, 1949 के अंतर्गत पर्चा देने की कार्रवाई की जाती है। इसके उपरान्त अवशेष सुयोग्य श्रेणी के

वास-भूमि रहित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक / गैरमजरूआ आम / भू-हदबंदी से अतिरिक्त अर्जित भूमि की बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाती है। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में अवशेष बचे परिवारों को बिहार गृहस्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की कृय नीति, 2011 के तहत सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को भूमि / भू-खण्ड कृय कर उपलब्ध कराई जाती है। सुयोग्य श्रेणी के वासरहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने की स्थिति में 05 डिसमिल प्रति परिवार की दर से कुल 100 डिसमिल वासभूमि के अतिरिक्त 20.00 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।

उद्योग विभाग

1. हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास :

हस्तकरघा बुनकर एवं रंगरेज हेतु सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, जिसमें कटाई, बुनाई, रंगाई इत्यादि की सुविधा महिलाओं को भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला / उत्सव / सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

2. इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना :

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवक / युवतियों को रोजगार / स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशालय द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

1. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (7 निश्चय) :

- (क) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह प्रभावित क्षेत्रों के 22000 वार्डों में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण गृह जल संयोजन के साथ किया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- (ख) मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विद्यमान 1095 अदद् ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित गैर गुणवत्ता प्रभावित 5400 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- (ग) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित पंचायत के शेष गैर गुणवत्ता प्रभावित 8303 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- (घ) मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत पेयजल समस्या— ग्रस्त दुर्गम / पठारी क्षेत्र के 532 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होनेवाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सब मिशन कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक / फ्लोराईड / लौह प्रभावित क्षेत्रों में 2821 वार्डों के सभी घरों को गृह जल संयोजन के साथ पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इन पेय जलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है।

जेन्डर बजट 2022-23

विभागवार विवरणी

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2020-21 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेन्डर बजट अनुमान)	2021-22 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (कुल बजट अनुमान)	2022-23 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	29315.96	70018.11	77264.07	274581.43	82399.75
3	भवन निर्माण विभाग	641.37	21440.00	21501.56	58900.00	20870.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	389.20	1877.59	1531.01	6445.09	1957.03
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	20029.49	79108.49	109108.49	183534.09	88836.50
16	पंचायती राज विभाग	14880.58	21350.00	21350.00	59700.00	29850.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	0.00	19239.29	17533.46	24008.00	8028.59
20	स्वास्थ्य विभाग	191116.67	242762.98	322664.22	472497.26	269080.14
21	शिक्षा विभाग	651888.18	939256.94	1222816.53	3157142.31	1091009.54
22	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00
23	उद्योग विभाग	5375.25	12894.00	12894.00	109155.00	39389.50
26	श्रम संसाधन विभाग	7007.20	9648.51	9648.51	26995.00	9288.51
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10061.82	15720.00	15720.00	39100.00	15870.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	113266.03	73496.90	94474.38	194765.00	58429.50
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	97.81	7050.00	7049.99	7355.00	7355.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	594669.63	1294540.40	1408497.69	1480718.00	1259740.60
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	10942.47	13245.24	13913.47	14856.84	14856.84
44	अनु० जाति अनु० जनजाति कल्याण विभाग	45334.48	60895.58	61099.94	163962.69	58536.85
46	पर्यटन विभाग	1933.77	10400.00	10400.00	15500.00	7500.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	58452.16	102052.96	156640.64	336459.95	101231.00
51	समाज कल्याण विभाग	486382.74	454009.10	651123.46	812295.17	501423.81
योग		2241801.13	3449056.10	4235281.41	7438020.83	3665703.17

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2022-23 के जेंडर बजट के अंतर्गत महिलाओं पर व्यय किये जाने हेतु बजट में प्रावधानित राशि

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	बजट उपबंध	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित राशि	महिलाओं के लिए कम-से-कम 30 प्रतिशत कर्णांकित राशि	कुल योग
1	कृषि विभाग	274581.43	0.00	82399.75	82399.75
3	भवन निर्माण विभाग	58900.00	0.00	20870.00	20870.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	6445.09	0.00	1957.03	1957.03
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	183534.09	1574.00	87262.50	88836.50
16	पंचायती राज विभाग	59700.00	0.00	29850.00	29850.00
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	39143.00	0.00	0.00	0.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	24008.00	0.00	8028.59	8028.59
20	स्वास्थ्य विभाग	472497.26	133468.71	135611.43	269080.14
21	शिक्षा विभाग	3157142.31	114393.09	976616.45	1091009.54
22	गृह विभाग	50.00	50.00	0.00	50.00
23	उद्योग विभाग	109155.00	25000.00	14389.50	39389.50
26	श्रम संसाधन विभाग	26995.00	1700.00	7588.51	9288.51
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	39100.00	200.00	15670.00	15870.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	194765.00	0.00	58429.50	58429.50
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	7355.00	7355.00	0.00	7355.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	1480718.00	924317.00	335423.60	1259740.60
43	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	14856.84	14856.84	0.00	14856.84
44	अनु0 जाति अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	163962.69	0.00	58536.85	58536.85
46	पर्यटन विभाग	15500.00	0.00	7500.00	7500.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	336459.95	0.00	101231.00	101231.00
51	समाज कल्याण विभाग	812295.17	84049.74	417374.07	501423.81
	योग	7438020.83	1306964.38	2358738.79	3665703.17

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2022-23 विभागवार विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2020-21 (वास्तविकी जेन्डर)	2021-22 (जेन्डर बजट अनुमान)	2021-22 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2022-23 (कुल बजट अनुमान)	2022-23 (जेन्डर बजट अनुमान)
08	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	204.23	419.59	129.97	1585.09	499.03
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	851.53	1593.49	1593.49	1681.09	1611.5
16	पंचायती राज विभाग	2736.58	10050.00	10050.00	20100.00	10050.00
20	स्वास्थ्य विभाग	3290.71	8603.57	9602.02	17324.26	9310.94
21	शिक्षा विभाग	197633.05	269127.14	269143.05	986765.31	314106.86
22	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	10526.79	13145.24	13813.47	14256.84	14256.86
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4545.28	6074.89	6107.82	22467.69	6608.84
51	समाज कल्याण विभाग	932.57	1184.21	1184.21	1203.79	1203.79
	कुल योग	220737.06	310248.13	311674.03	1065434.07	357697.82

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2022-23 विभागवार विवरणी

स्कीम (राज्य स्कीम/केन्द्रीय स्कीम)

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2020-21 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेन्डर बजट अनुमान)	2021-22 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित)	2022-23 (कुल बजट अनुमान)	2022-23 (जेन्डर बजट अनुमान)
01	कृषि विभाग	29315.96	70018.11	77264.07	274580.43	82399.75
03	भवन निर्माण विभाग	641.37	21440.00	21501.56	58900.00	20870.00
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	184.97	1458.00	1401.04	4860.00	1458.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	19177.96	77515.00	107515.00	181853.00	87225.00
16	पंचायती राज विभाग	12144.00	11300.00	11300.00	39600.00	19800.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	0.00	19239.29	17533.46	24008.00	8028.59
20	स्वास्थ्य विभाग	187825.96	234159.40	313062.20	455173.00	259769.2
21	शिक्षा विभाग	454255.13	670129.80	953673.48	2170377.00	776902.68
23	उद्योग विभाग	5375.25	12894.00	12894.00	109155.00	39389.5
26	श्रम संसाधन विभाग	7007.20	9648.51	9648.51	26995.00	9288.51
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10061.82	15720.00	15720.00	39100.00	15870.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	113266.03	73496.90	94474.38	194765.00	58429.5
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	97.81	7050.00	7049.99	7355.00	7355.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	594669.63	1294540.40	1408497.69	1480718.00	1259740.6
43	विज्ञान प्रावैधिकी विभाग	415.68	100.00	100.00	600.00	600.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	40789.20	54820.69	54992.12	141495.00	51928.01
46	पर्यटन विभाग	1933.77	10400.00	10400.00	15500.00	7500.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	58452.16	102052.96	156640.64	336459.95	101231.00
51	समाज कल्याण विभाग	485450.17	452824.89	649939.25	811091.38	500220.02
	कुल योग	2021064.07	3138807.95	3923607.39	6372585.76	3308005.36

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2022-23 विभागवार विवरणी

श्रेणी-ए – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2020-21 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेन्डर बजट अनुमान)	2021-22 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (कुल बजट अनुमान)	2022-23 (जेन्डर बजट अनुमान)
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	851.53	1551.99	1551.99	1574.00	1574.00
20	स्वास्थ्य विभाग	87998.37	124835.83	160691.05	133468.71	133468.71
21	शिक्षा विभाग	77283.96	73154.32	200723.32	114393.09	114393.09
22	गृह विभाग	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00
23	उद्योग विभाग	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00
26	श्रम संसाधन विभाग	1142.43	1850.00	1850.00	1700.00	1700.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	97.81	7050.00	7049.99	7355.00	7355.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	319550.35	894800.00	982096.72	924317.00	924317.00
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	10942.47	13245.24	13913.47	14856.84	14856.84
51	समाज कल्याण विभाग	104029.47	91691.28	143455.11	84049.74	84049.74
	कुल योग	601912.71	1208428.66	1511581.65	1306964.38	1306964.38

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2022-23 विभागवार विवरणी

श्रेणी-बी – महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रु. में)

मांग संख्या	विभाग का नाम	2020-21 (जेन्डर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेन्डर बजट अनुमान)	2021-22 (जेन्डर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (कुल बजट अनुमान)	2022-23 (जेन्डर बजट अनुमान)
1	कृषि विभाग	29315.96	70018.11	77264.07	274581.43	82399.75
3	भवन निर्माण विभाग	641.37	21440.00	21501.56	58900.00	20870.00
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	389.20	1877.59	1531.01	6445.09	1957.03
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	19177.96	77556.50	107556.50	181960.09	87262.50
16	पंचायती राज विभाग	14880.58	21350.00	21350.00	59700.00	29850.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	0.00	19239.29	17533.46	24008.00	8028.59
20	स्वास्थ्य विभाग	103118.30	117927.15	161973.17	339028.55	135611.43
21	शिक्षा विभाग	574604.22	866102.62	1022093.21	3042749.22	976616.45
23	उद्योग विभाग	5375.25	12894.00	12894.00	84155.00	14389.50
26	श्रम संसाधन विभाग	5864.77	7798.51	7798.51	25295.00	7588.51
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10061.82	15520.00	15520.00	38900.00	15670.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	113266.03	73496.90	94474.38	194765.00	58429.50
42	ग्रामीण विकास विभाग	275119.28	399740.40	426400.97	556401.00	335423.60
44	अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण विभाग	45334.48	60895.58	61099.94	163962.69	58536.85
46	पर्यटन विभाग	1933.77	10400.00	10400.00	15500.00	7500.00
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	58452.16	102052.96	156640.64	336459.95	101231.00
51	समाज कल्याण विभाग	382353.27	362317.82	507668.35	728245.43	417374.07
योग		1639888.42	2240627.44	2723699.76	6131056.45	2358738.79

कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उप शीर्ष में जेन्डर बजट के आँकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2022-23

श्रेणी 'ए' – महिलाओं के लिए शत प्रतिशत

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770010 पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	851.53	1551.99	1551.99	1574.00	1574.00
कुल योग	851.53	1551.99	1551.99	1574.00	1574.00
मांग संख्या-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2210051050011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	112.23	251.16	251.16	279.90	279.90
20-2210051050012 प्रशिक्षण नर्स	1215.34	2831.67	3974.89	3688.81	3688.81
20-2210061010114 आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	5661.21	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
20-2211001030102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	0.00	2500.00	2500.00	1500.00	1500.00
20-4210031050112 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	0.00	4753.00	4753.00	5000.00	5000.00
20-2211000030206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1443.15	10000.00	10050.00	8000.00	8000.00
20-2211000030306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	863.08	2500.00	5200.00	1500.00	1500.00
20-2211001010205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	53441.97	80000.00	97690.00	90000.00	90000.00
20-2211001010305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	25261.39	10000.00	24272.00	11500.00	11500.00
कुल योग	87998.37	124835.83	160691.05	133468.71	133468.71
मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031030003 राजकीय महिला महाविद्यालय	976.81	1052.32	1068.32	1293.09	1293.09
21-2202011090102 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना- प्रारंभिक शिक्षा	5500.00	6000.00	15022.00	10000.00	10000.00
21-2202021070107 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना- माध्यमिक शिक्षा	0.00	12000.00	43017.00	14924.00	14924.00
21-2202027890104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना (एस0सी0)- माध्यमिक शिक्षा	0.00	5500.00	9919.00	3276.00	3276.00
21-2202031070104 मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना - उच्चतर शिक्षा	3874.66	1500.00	4700.00	1800.00	1800.00
21-2202021070106 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना-माध्यमिक शिक्षा	0.00	14000.00	38944.00	10086.00	10086.00
21-2202021070108 अन्य विद्यालय	18058.06	0.00	0.00	0.00	0.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीकृत अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग					
21-2202027890102 मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (एस0सी0)-माध्यमिक शिक्षा	4679.33	5500.00	5500.00	2214.00	2214.00
21-2202021090109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम-माध्यमिक शिक्षा	0.00	7600.00	18512.00	5000.00	5000.00
21-2202031070108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	37595.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202031070109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2202021070110 मुख्यमंत्री (इंटरमिडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना- सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.00	40000.00	40000.00
21-2202031070110 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना - उच्चतर शिक्षा	0.00	20000.00	63350.00	25000.00	25000.00
21-2202020040102 हुनर	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
21-2204001010103 मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	1.00	690.00	500.00	500.00
21-4202012030106 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	1.00	1.00	200.00	200.00
कुल योग	77283.96	73154.32	200723.32	114393.09	114393.09
मांग संख्या-22 गृह विभाग					
22-2235602000016 स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री, नतीनी की शादी हेतु अनुदान	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00
कुल योग	16.32	50.00	50.00	50.00	50.00
मांग संख्या-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020109 महिला उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	12810.00	12810.00
23-6851001020103 महिला उद्यमी योजना	0.00	0.00	0.00	12190.00	12190.00
कुल योग	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00
मांग संख्या-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230030030112 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230031010101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1110.98	1650.00	1650.00	1600.00	1600.00
26-2230031010102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	31.45	200.00	200.00	100.00	100.00
कुल योग	1142.43	1850.00	1850.00	1700.00	1700.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2021-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2250001010101 मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप राशि उपलब्ध कराने हेतु	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
कुल योग	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
मांग संख्या-40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग					
40-4047000500107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	0.80	80.00	79.99	300.00	300.00
40-4047007890106 अनु० जाति के गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	84.01	6560.00	6560.00	6640.00	6640.00
40-4047007960101 अनु० जनजाति के गृह विहिनों के लिए वास भूमि का क्रय	13.00	410.00	410.00	415.00	415.00
कुल योग	97.81	7050.00	7049.99	7355.00	7355.00
मांग संख्या-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2216031020101 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	0.00	200.00	200.00	1.00	1.00
42-2216037890104 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना- अनु० जाति	0.00	500.00	500.00	1.00	1.00
42-2216037960103 मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना- अनु० जनजाति	0.00	100.00	100.00	1.00	1.00
42-2216031050106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
42-2216031050107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	0.00	1000.00	1000.00	2000.00	2000.00
42-2216037890105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना- अनु० जाति	0.00	9000.00	9000.00	4000.00	4000.00
42-2216037960104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना- अनु० जनजाति	0.00	982.00	982.00	1000.00	1000.00
42-2216031050202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	1885.32	604600.00	604600.00	318914.00	318914.00
42-2216037890202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)- अनु० जाति	0.00	111400.00	111400.00	400000.00	400000.00
42-2216037960202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)- अनु० जनजाति	0.00	4000.00	4000.00	5000.00	5000.00
42-2216031050302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	284216.43	99998.00	187294.72	43000.00	43000.00
42-2216037890302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)- अनु० जाति	0.00	1.00	1.00	50000.00	50000.00
42-2216037960302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)- अनु० जनजाति	0.00	1.00	1.00	7000.00	7000.00
42-2216037890103 मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
42-2515001020517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना - विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	23413.95	42348.00	42348.00	33600.00	33600.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीकृत अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
42-2515007890510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	9700.55	17545.00	17545.00	13920.00	13920.00
42-2515007960517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना – विश्व बैंक संपोषित ग्रामीण विकास विभाग हेतु	334.10	605.00	605.00	480.00	480.00
42-2216031050108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	500.00	500.00	100.00	100.00
42-2216037890106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	1800.00	1800.00	200.00	200.00
42-2216037960105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना	0.00	200.00	200.00	100.00	100.00
कुल योग (ग्रामीण विकास विभाग)	319550.35	894800.00	982096.72	924317.00	924317.00
मांग संख्या-43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग					
43-2203001030001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	85.79	111.08	70.41	66.74	66.74
43-2203001050001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	10441.00	13034.16	13743.06	14190.10	14190.10
43-2203001050106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	415.68	100.00	100.00	600.00	600.00
कुल योग	10942.47	13245.24	13913.47	14856.84	14856.84
मांग संख्या-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235021030003 बिहार राज्य महिला आयोग	386.26	481.00	481.00	518.60	518.60
51-2235021040001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय-गृह	180.31	203.21	203.21	185.19	185.19
51-2235028000002 अन्तर्जातीय विवाह	366.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021020116 परवरिश	2200.00	2155.00	2155.00	1600.00	1600.00
51-2235021010111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	6.38	10.00	10.00	10.00	10.00
51-2235021020224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	259.48	0.02	451.01	0.82	0.82
51-2235021020226 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	0.01	60.00	0.01	0.01
51-2235021020324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	193.45	0.02	451.01	0.56	0.56
51-2235021020326 राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.00	0.01	40.00	0.01	0.01
51-2235021030105 महिला विकास निगम सहायक अनुदान	325.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235021030109 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2337.24	2428.00	2378.00	3000.00	3000.00
51-2235021030110 नारी शक्ति योजना	0.00	3700.00	3700.00	3700.00	3700.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
51-2235021030111 कन्या सुरक्षा योजना	2600.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00
51-2235021030219 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	26148.00	600.00	600.00
51-2235021030225 मातृत्व लाभ योजना	989.78	2337.86	2337.86	2934.29	2934.29
51-2235021030319 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	130.74	0.01	0.01
51-2235021030325 मातृत्व लाभ योजना	23552.92	12904.11	22904.11	6956.20	6956.20
51-2235027890107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	577.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
51-2235027890108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
51-2235027890109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	2600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
51-2235027890312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	64.83	0.01	0.01	0.04	0.04
51-2235027890313 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	0.00	0.01	43.58	0.01	0.01
51-2235027960123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	56.70	672.00	672.00	674.00	674.00
51-2235031010103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1727.80	500.00	500.00	500.00	500.00
51-2235031010203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	18200.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00
51-2235031010303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	6356.32	3800.00	6346.40	3800.00	3800.00
51-2235037890102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
51-2235037890202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7400.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00
51-2235037890302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	700.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
51-2235601020105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	28150.00	16400.00	28343.18	13470.00	13470.00
51-2235607890102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	4800.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
कुल योग	104029.47	91691.28	143455.11	84049.74	84049.74
महा योग	601912.71	1208428.66	1511581.65	1306964.38	1306964.38

जेन्डर बजट 2022-23

श्रेणी 'बी'-महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीकृत अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401000010214 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	149.40	149.40	124.50	37.00
01-2401000010314 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	65.00	65.00	49.75	15.00
01-2401001020201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	936.48	2490.00	2490.00	5826.60	1747.98
01-2401001020301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	579.88	1077.00	1077.00	2328.32	698.79
01-2401001030109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	2456.57	3486.00	3486.00	9960.00	2988.00
01-2401001030218 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	0.00	747.00	747.00	1780.35	534.11
01-2401001030318 सब मिशन ऑन सिड एण्ड प्लॉटिंग मटेरियल	0.00	323.00	323.00	711.43	213.45
01-2401001040106 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	953.65	2739.00	2739.00	6225.00	1867.50
01-2401001040205 परम्परागत कृषि विकास योजना	13.90	374.00	533.58	2490.00	748.00
01-2401001040305 परम्परागत कृषि विकास योजना	10.06	161.00	354.18	995.00	299.00
01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	948.07	3620.00	3620.00	7470.00	2240.99
01-2401001050207 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	258.73	623.00	1542.29	4482.00	1345.68
01-2401001050307 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	155.49	269.00	1041.43	1791.01	537.03
01-2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	36.65	171.00	171.00	498.00	149.40
01-2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	24.00	74.00	74.00	199.00	59.75
01-2401001090103 बाढ़, सुखाड़ की अपातकालीन योजना	495.84	2739.00	1992.00	4150.00	1245.00
01-2401001090106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	4127.13	1245.00	7252.32	18260.00	5478.00
01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	1126.82	6126.00	2616.04	11454.00	3436.37

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401001090217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1739.12	2117.00	2117.00	7519.80	2256.47
01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	1245.00	1245.00	4482.00	1344.60
01-2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	760.79	2648.00	1767.59	4577.01	1373.00
01-2401001090317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1162.74	915.00	915.00	3004.92	901.41
01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	538.00	538.00	1791.01	537.03
01-2401001130105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	740.80	2814.00	2938.51	8221.60	2466.74
01-2401001130217 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	0.00	623.00	1187.84	6474.00	1943.76
01-2401001130317 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	0.00	269.00	790.85	2587.02	776.00
01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	2393.63	3735.00	3735.00	11620.00	3486.00
01-2401001190224 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	442.39	747.00	747.00	4482.00	1345.00
01-2401001190324 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	294.08	323.00	498.05	1791.01	537.36
01-2401007890106 इन्टेन्सिफाइड फ़िल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	737.77	1398.00	1398.00	3520.00	1055.97
01-2401007890117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	459.72	672.00	672.00	1920.00	576.00
01-2401007890120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन	70.37	542.00	565.98	1584.89	475.12
01-2401007890125 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	95.58	528.00	384.00	800.00	240.00
01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	142.45	698.00	698.00	1440.00	432.10
01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	431.62	720.00	720.00	2240.00	672.00
01-2401007890147 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	153.75	528.00	528.00	1200.00	360.00
01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	201.20	1181.00	504.33	2208.00	662.48
01-2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	6.46	33.00	33.00	96.00	29.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401007890235 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	85.40	144.00	144.00	864.00	259.20
01-2401007890236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	334.01	408.00	408.00	1449.60	434.88
01-2401007890237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	157.73	480.00	480.00	1123.20	337.00
01-2401007890238 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	54.06	120.00	297.07	864.00	259.20
01-2401007890239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	240.00	240.00	864.00	259.20
01-2401007890240 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	24.00	24.00	24.00	7.25
01-2401007890241 परम्परागत कृषि विकास योजना	2.91	72.00	102.72	480.00	144.00
01-2401007890245 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	0.00	120.00	228.80	1248.00	374.40
01-2401007890249 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	144.00	144.00	343.20	103.00
01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	135.69	511.00	341.10	882.34	265.00
01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	100.59	208.00	208.00	448.83	135.00
01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	4.19	14.00	14.00	38.36	12.00
01-2401007890335 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	56.14	62.00	95.60	345.25	104.00
01-2401007890336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	223.83	176.00	176.00	579.26	174.00
01-2401007890338 राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	31.60	52.00	201.32	345.25	104.00
01-2401007890339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	104.00	104.00	345.25	104.00
01-2401007890340 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	12.00	12.00	9.59	3.00
01-2401007890341 परम्परागत कृषि विकास योजना	1.93	31.00	68.20	191.81	58.00
01-2401007890345 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	0.00	52.00	152.88	498.70	150.00
01-2401007890349 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	62.00	62.00	137.14	41.00
01-2401007960134 इनटेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना	26.11	87.00	87.00	220.00	66.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401007960140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	27.28	42.00	42.00	120.00	36.00
01-2401007960143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेकानाईजेशन	1.93	34.00	35.50	99.05	30.00
01-2401007960147 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	5.97	33.00	24.00	50.00	15.00
01-2401007960148 जैविक खेती का उन्नयन	5.59	44.00	44.00	90.00	27.24
01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	24.93	45.00	45.00	140.00	42.00
01-2401007960169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	31.62	33.00	33.00	75.00	23.00
01-2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	13.63	74.00	31.61	138.00	41.50
01-240100796256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.32	2.00	2.00	6.00	2.00
01-2401007960257 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	3.93	9.00	9.00	54.00	16.20
01-2401007960258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	3.10	8.00	19.80	54.00	17.28
01-2401007960259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7.91	30.00	30.00	70.20	21.06
01-2401007960260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	21.27	26.00	26.00	90.60	27.71
01-2401007960261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	15.00	15.00	54.00	16.20
01-2401007960262 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	2.00	2.00	1.50	0.50
01-2401007960263 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.18	5.00	7.13	30.00	10.00
01-2401007960267 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	0.00	8.00	15.25	78.00	24.96
01-2401007960271 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	9.00	9.00	21.45	6.44
01-2401007960331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0केबी0वाई0) (ए0सी0ए0)	9.15	32.00	21.36	55.14	17.00
01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	0.21	1.00	1.00	2.40	1.00
01-2401007960357 राष्ट्रीय बागबानी मिशन	2.79	4.00	6.17	21.58	6.65
01-2401007960358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1.93	3.00	11.61	21.58	6.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401007960359 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4.92	13.00	13.00	28.05	8.43
01-2401007960360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	14.52	11.00	11.00	36.20	11.00
01-2401007960361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	6.00	6.00	21.58	6.00
01-2401007960362 नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	0.00	1.00	1.00	0.60	0.23
01-2401007960363 परम्परागत कृषि विकास योजना	0.10	2.00	4.40	11.99	4.00
01-2401007960367 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन	0.00	3.24	9.52	31.17	9.34
01-2401007960371 सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल	0.00	4.00	4.00	8.57	3.00
01-2401001090122 सात निश्चय-2	0.00	1245.00	1245.00	8300.00	2490.00
01-2401007890152 सात निश्चय-2	0.00	240.00	240.00	1600.00	480.00
01-2401007960174 सात निश्चय-2	0.00	15.00	15.00	100.00	30.00
01-2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	1272.85	1793.00	1793.00	4150.00	1245.14
01-2402001020213 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	217.41	1868.00	1868.00	5727.00	1718.56
01-2402001020313 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	144.98	807.41	807.41	2288.51	687.00
01-2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	240.11	346.00	346.00	800.00	240.28
01-2402007890202 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	44.53	360.00	360.00	1104.00	331.20
01-2402007890302 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	29.69	156.00	156.00	441.16	132.65
01-2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	15.63	22.00	22.00	50.00	15.28
01-2402007960209 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.00	23.00	23.00	69.00	21.16
01-2402007960309 एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.00	10.00	10.00	27.57	8.50

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2415010040107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	160.74	236.00	611.97	1253.30	376.70
01-2415012770101 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	1.68	100.00	100.00	415.00	125.00
01-2415012770108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	3112.44	5129.40	4631.40	11620.00	3486.00
01-2415017890103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	599.88	989.00	892.98	2240.00	672.14
01-2415017890105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.33	19.20	19.20	80.00	24.00
01-2415017890107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	16.50	45.40	117.73	241.60	72.47
01-2415017960104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	37.67	62.00	55.98	140.00	42.14
01-2415017960105 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	0.33	3.00	7.78	15.10	5.00
01-2415017960108 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.00	1.20	1.20	5.00	2.00
01-2415012770112 कौशल विकास मिशन	0.00	383.46	383.46	996.00	299.00
01-2415017890108 कौशल विकास मिशन	0.00	74.00	74.00	192.00	58.00
01-2415017960109 कौशल विकास मिशन	0.00	5.00	5.00	12.00	4.00
01-2435601010101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	137.00	137.00	2490.00	747.27
01-2435607890101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	26.40	26.40	480.00	144.00
01-2435607960101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	2.00	2.00	2.00	30.00	10.91
01-3475001060101 माप एवं तौल का मानकीकरण	60.05	448.20	448.20	422.02	127.00
01-3475007890103 माप एवं तौल का मानकीकरण	7.89	86.40	86.40	81.35	24.41
01-3475007960103 माप एवं तौल का मानकीकरण	0.05	5.40	5.40	5.09	2.00
01-4401000510101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	2490.00	2015.16	0.00	0.00
01-4401007890101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	480.00	388.46	0.00	0.00
01-4401007960101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	30.00	24.28	0.00	0.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-01 कृषि विभाग					
01-2401001190225 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	0.00	1868.00	6972.00	2092.00
01-2401001190325 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	0.00	1144.00	2786.01	836.00
01-2401007890250 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	0.00	360.00	1344.00	403.00
01-2401007890350 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	0.00	0.00	221.00	537.06	161.00
01-2401001090124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	349.00	1245.00	374.00
01-2401007890153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	67.00	240.00	72.00
01-2401007960175 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	4.20	15.00	5.00
01-4401000510103 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	43990.00	13197.00
01-2401001190225 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	8480.00	2544.00
01-2401001190225 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	0.00	0.00	530.00	159.00
कुल योग	29315.96	70018.11	77264.07	274581.43	82399.75
मांग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग					
03-4059010510119 कृषि कार्यालय भवन	0.00	0.00	0.00	2905.00	871.50
03-4059017890101 अनु० जाति के लिए भवन	540.00	6000.00	6000.00	18000.00	5400.00
03-4059017890102 कृषि कार्यालय भवन	3.52	0.00	57.94	560.00	168.00
03-4059017960104 अनु० जनजाति के लिए भवन	0.00	5250.00	5250.00	30000.00	30000.00
03-4059017960105 कृषि कार्यालय भवन	0.01	0.00	3.62	35.00	10.50
03-4059800510118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	70.03	9800.00	9800.00	6000.00	5000.00
03-4225800510103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	11.45	240.00	240.00	1200.00	360.00
03-4235021040101 वृद्धाश्रम	16.35	150.00	150.00	200.00	60.00
कुल योग	641.37	21440.00	21501.56	58900.00	20870.00

विपत्र कोड स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग					
08-2204001040001 खेलकूद	204.23	346.58	56.96	1386.60	415.98
08-2205000010001 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	0.00	73.01	73.01	198.49	83.05
08-2204001040102 खेलकूद	118.69	936.00	936.00	3120.00	936.00
08-2205001020101 कला और संस्कृति का संवर्द्धन	66.28	522.00	522.00	1740.00	522.00
कुल योग	389.20	1877.59	1531.01	6445.09	1957.03
मांग संख्या-11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग					
11-2225032770001 सथापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	0.00	12.50	12.50	25.00	12.50
11-2225032770002 छात्रावासों का संधारण	0.00	29.00	29.00	82.09	82.09
11-2225031970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	5499.59	5500.00	5500.00	10400.00	5500.00
11-2225031980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	9498.33	9500.00	9500.00	19900.00	9500.00
11-2225032770101 शिक्षा	347.66	55000.00	85500.00	118450.00	55000.00
11-2225032770212 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	5.00	5.00	15.00	5.00
11-2225032770214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	677.32	550.00	550.00	1135.00	550.00
11-2225032770215 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2458.58	5100.00	5100.00	27463.00	13523.00
11-2225032770312 अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमन्तू तथा अर्द्धघुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.00	2.00	2.00	5.00	2.00
11-2225032770314 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	677.32	550.00	550.00	1135.00	550.00
11-4225032770101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	19.16	195.00	195.00	650.00	195.00
11-4225032770202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	540.00	540.00	2340.00	2160.00
11-4225032770302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	0.00	73.00	73.00	360.00	240.00
कुल योग	19177.96	77556.50	107556.50	181960.09	87262.50

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-16 पंचायती राज विभाग					
16-2515001960106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	205.37	175.00	175.00	350.00	175.00
16-2515001970103 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	1064.11	900.00	900.00	1800.00	900.00
16-2515001980010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	2736.58	10050.00	10050.00	20100.00	10050.00
16-2515001980105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	4904.09	4150.00	4150.00	8300.00	4150.00
16-2515001980106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	3916.57	4150.00	4150.00	8300.00	4150.00
16-2515007890103 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	993.14	850.00	850.00	1700.00	850.00
16-2515007890104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	808.35	850.00	850.00	1700.00	850.00
16-2515007890105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	213.18	185.00	185.00	370.00	185.00
16-2515007890106 जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियम भत्ता हेतु	39.20	40.00	40.00	80.00	40.00
16-2515000010102 जिला पंचायत की स्थापना	0.00	0.00	0.00	17000.00	8500.00
कुल योग	14880.58	21350.00	21350.00	59700.00	29850.00
मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-2406011010109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास	0.00	322.20	354.60	0.00	0.00
19-2406017890101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास अनुसूचित जाति	0.00	1620.00	1620.00	1200.00	432.00
19-2406017960103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (जनजातिय क्षेत्र उपयोगना)	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00
19-2406018000101 नहर तट फार्म	0.00	813.96	813.96	0.00	0.00
19-2406017890102 नहर तट फर्म (अनु0 जा0)	0.00	422.64	422.64	650.00	234.00
19-2406018000105 पथ तट फार्म	0.00	1578.60	1542.60	0.00	0.00
19-2406017890103 पथ तट फर्म (अनु0 जा0)	0.00	2902.20	1200.00	853.00	255.90
19-2406011010111 जल-जीवन-हरियाली	0.00	6120.00	6120.00	8000.00	2880.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग					
19-4406010700102 भवन	0.00	2460.00	2460.00	3500.00	1050.00
19-4406010700101 सड़क और पुल	0.00	60.00	60.00	500.00	150.00
19-2406021100121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	0.00	90.00	90.00	700.00	210.00
19-2406021100324 बाघ परियोजना	0.00	242.67	242.67	604.70	229.79
19-2406021100326 गज परियोजना	0.00	19.00	19.00	63.03	23.95
19-2406021100323 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	136.59	136.59	591.80	177.54
19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	15.23	15.23	49.50	14.85
19-2406041010304 समेकित वन प्रबंधन	0.00	60.39	60.39	200.00	59.99
19-2406041010305 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	17.11	17.11	35.00	10.51
19-2406047890301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	12.00	12.00	25.00	7.50
19-2406047960301 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	7.50	7.50	15.00	4.50
19-2406041010301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	71.70	71.70	170.97	51.72
19-2406021100224 बाघ परियोजना	0.00	854.18	854.18	1751.00	665.38
19-2406021100226 गज परियोजना	0.00	67.02	67.02	516.65	196.31
19-2406021100223 एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास	0.00	481.82	481.82	1309.40	392.81
19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	53.72	53.69	496.00	148.78
19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	0.00	213.06	213.06	721.75	216.53
19-2406041010205 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	51.85	51.85	474.00	142.18
19-2406047890201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	45.00	45.00	459.00	137.70
19-2406047960201 राष्ट्रीय बांस मिशन	0.00	32.25	32.25	444.00	133.20
19-2406041010201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	0.00	250.80	250.80	678.20	203.45
कुल योग	0.00	19239.29	17533.46	24008.00	8028.59

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-20 स्वास्थ्य विभाग					
20-2211001010001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1821.13	4440.29	4567.92	11446.69	4578.68
20-2211001030001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	142.01	780.46	808.05	1908.86	763.55
20-2210012000209 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	14320.00	17000.00	17000.00	55000.00	22000.00
20-2210012000309 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	4520.00	4800.00	14080.00	12000.00	4800.00
20-2210017890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	7522.54	16040.00	16040.00	45100.00	18040.00
20-2210017890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	19271.57	1320.00	7120.00	3300.00	1320.00
20-2210017960219 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	502.00	640.00	640.00	2200.00	880.00
20-2210017960319 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	80.00	80.00	400.00	500.00	200.00
20-2210031100203 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	24893.60	37512.80	37512.80	120000.00	48000.00
20-2210031100303 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	9600.00	8000.00	22000.00	20000.00	8000.00
20-2210037890201 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	15400.00	13909.60	18309.60	34774.00	13909.60
20-2210037890301 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2160.00	2429.20	10440.00	5000.00	2000.00
20-2210037960202 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1200.00	1200.00	1200.00	3000.00	1200.00
20-2210037960302 एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	445.20	570.80	2560.00	1300.00	520.00
20-2211000010204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	900.56	4800.00	4828.00	12099.00	4839.60
20-2211000010304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	213.13	2000.00	2054.80	5000.00	2000.00
20-2211001020202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	76.49	840.00	848.00	1000.00	400.00
20-2211001020302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	50.06	560.00	560.00	300.00	120.00
20-2230031020102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00
20-4210031050119 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	0.00	1004.00	1004.00	5000.00	2000.00
कुल योग	103118.30	117927.15	161973.17	339028.55	135611.43

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202011910001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1037.64	1626.00	1625.91	6065.21	2001.52
21-2202011920001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1019.99	2238.00	2238.00	8346.39	2754.31
21-2202011930001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2054.59	3129.00	3129.00	11670.25	3851.18
21-2202011970002 प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	53131.28	70262.12	70262.12	262066.26	86481.87
21-2202011980002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	1126.28	1142.00	1142.00	4258.87	1405.43
21-2202021910001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	2726.40	4981.08	4981.08	19924.33	6575.03
21-2202021920001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3052.96	5481.00	5481.00	21923.53	7234.76
21-2202021930001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3037.34	4839.59	4839.59	19358.39	6388.27
21-2202021960001 जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	29431.01	51550.20	51550.20	206200.81	68046.27
21-2202031020001 पटना विश्वविद्यालय	6655.34	8141.88	8141.88	32674.51	9802.35
21-2202031020002 मगध विश्वविद्यालय	13879.86	17076.78	17076.78	55422.60	16626.78
21-2202031020003 बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय)	15931.26	19432.95	19432.95	62276.50	18682.95
21-2202031020004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	6038.81	7546.14	7546.14	29567.26	8870.18
21-2202031020005 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	7240.97	9139.20	9139.20	28964.00	8689.20
21-2202031020008 बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	7265.95	8939.94	8939.94	28299.80	8489.94
21-2202031020009 भागलपुर विश्वविद्यालय	9789.51	11917.77	11917.77	38725.90	11617.77
21-2202031020011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	14047.30	15661.53	15661.53	62131.38	18639.41
21-2202031020012 कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	2677.16	3143.61	3143.61	11934.70	3580.41
21-2202031020016 मौलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	86.01	89.88	89.88	374.50	112.35
21-2202031020017 राष्ट्रीय चाणक्या विधि विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	300.00	90.00
21-2202031020024 पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	9757.66	12426.84	12426.84	44761.13	13428.34

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020025 पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	2506.41	3157.50	3157.50	9025.00	2707.50
21-2202031020027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	2152.69	3033.54	3033.54	8611.80	2583.54
21-2202800030005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	181.91	265.06	265.06	1736.78	573.14
21-2202800030006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1227.02	1628.10	1628.10	7158.02	2362.15
21-2202800030007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	77.15	140.00	140.00	599.28	197.76
21-2202800030008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	523.74	1085.11	1085.11	3095.02	1021.36
21-2202010010101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.00	300.00	240.00	100.00	30.00
21-2202010010105 शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	27.38	150.00	150.00	500.00	150.00
21-2202010010106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	210.92	300.00	300.00	100.00	30.00
21-2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुदान	113.40	450.00	450.00	1000.00	300.00
21-2202011020102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जानेवाली	679.67	3000.00	3000.00	17280.00	5184.00
21-2202011090101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	1603.17	1140.00	1140.00	4050.00	1215.00
21-2202011090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	0.00	1754.00	1754.00	10.00	3.00
21-2202011090105 प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	5196.07	4050.00	5250.00	17500.00	5250.00
21-2202011110201 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	64340.10	199159.00	199159.00	651576.00	215020.08
21-2202011110301 सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	42893.40	22560.00	56496.30	127585.00	42103.05
21-2202011110302 सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	141838.50	156000.00	253313.70	454148.00	149868.84
21-2202011120203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	32929.99	34673.00	34673.00	197500.00	59250.00
21-2202011120303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम0)	19511.20	12434.00	19493.58	47400.00	14220.00
21-2202017890102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	160.49	360.00	360.00	950.00	285.00
21-2202017890203 सर्व शिक्षा अभियान	17965.81	36000.00	36000.00	206594.00	68176.02
21-2202017890209 मध्यान भोजन योजना	7892.06	7370.00	7370.00	45000.00	13500.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-21 शिक्षा विभाग					
21-2202017890306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम०डी०एम०)	4445.55	4914.00	4914.00	10800.00	3240.00
21-2202017890308 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	11977.21	24000.00	24000.00	29070.00	9593.10
21-2202017960210 मध्यान भोजन योजना	952.35	978.90	978.90	7500.00	2250.00
21-2202017960211 समग्र शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	1140.36	2160.00	2160.00	4468.00	1474.44
21-2202017960309 सर्व शिक्षा अभियान	760.24	1440.00	1440.00	4845.00	1598.85
21-2202017960310 मध्यान भोजन योजना	710.43	653.00	653.00	1800.00	540.00
21-2202020010101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	-0.05	330.90	285.90	550.00	165.00
21-2202020040102 हुनर	0.00	300.00	2730.00	0.00	0.00
21-2202020520103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	0.00	240.00	2984.10	100.00	30.00
21-2202021090105 आई०सी०टी० परियोजना	0.00	30.00	30.00	1000.00	300.00
21-2202021090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	0.00	360.00	360.00	100.00	30.00
21-2202021090207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	0.00	11439.00	11439.00	63200.00	20856.00
21-2202021090307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	0.00	900.00	2885.10	7900.00	2607.00
21-2202021090312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	3600.00	3.00	4825.80	100.00	33.00
21-2202027890207 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	10478.00	10478.00	14400.00	4320.00
21-2202027890307 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	450.00	450.00	1800.00	594.00
21-2202027960209 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	540.00	540.00	2400.00	792.00
21-2202027960309 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	0.00	360.00	360.00	300.00	99.00
21-2202031020115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	2090.03	5651.70	10130.70	16001.00	4800.30
21-2202031020117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	0.00	150.00	150.00	300.00	90.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202031020118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	0.00	150.00	150.00	200.00	60.00
21-2202031020126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	0.00	30.00	30.00	100.00	30.00
21-2202031020323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	324.00	1374.00	1374.00	6320.00	1896.00
21-2202031130101 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	0.00	240.00	240.00	248.00	74.40
21-2202042000102 प्रौढ़ शिक्षा	1504.80	1505.00	1505.00	0.00	0.00
21-2202042000203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	238.43	1979.00	1988.60	790.00	237.00
21-2202042000303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	10.70	1319.00	1325.60	395.00	118.50
21-2202047890101 प्रौढ़ शिक्षा	12000.00	12000.00	12000.00	30000.00	9000.00
21-2202800010102 राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	185.94	151.50	256.50	500.00	150.00
21-2202800040106 ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.00	150.00	150.00	300.00	90.00
21-2202021070108 मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	0.00	10000.00	3000.00
21-2202800040108 ललित नारायण मिश्र इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंजेज	52.44	150.00	150.00	100.00	30.00
21-2202800040121 बिहार राज्य भाषा अकादमी	5.19	22.50	22.50	1.00	0.30
21-2204001040108 बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट तंत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-4202012020103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	2102.21	12006.00	12009.90	17000.00	5100.00
21-4202012030108 राजकीय महाविद्यालय	0.00	600.00	600.00	1000.00	300.00
21-4202012030207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	486.00	2668.00	2668.00	15800.00	4740.00
21-2202011120104 मध्याह्न भोजन योजना	0.00	13800.00	13800.00	30000.00	9000.00
21-2202021030101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	0.00	150.00	150.00	200.00	60.00
21-2202031020119 नालंदा अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	0.00	15.00	15.00	200.00	60.00
21-2202031020127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय	0.00	600.00	600.00	1.00	0.30
21-2202037890301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	84.00	84.00	1440.00	432.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-21 शिक्षा विभाग					
21-2202037960301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	0.00	42.00	42.00	240.00	72.00
21-2202047890202 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21-2202047890203 अध्यापक शिक्षा संस्थान	0.00	45.00	45.00	180.00	54.00
21-2202047960204 अध्यापक शिक्षा संस्थान	0.00	27.00	27.00	30.00	9.00
21-2202047960203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
21-2202042000204 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	0.00	1101.30	1101.30	0.00	0.00
21-2202042000304 राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
21-2202047890302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
21-2202047890301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	30.00	30.00	90.00	27.00
21-2202047960301 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	18.00	18.00	15.00	4.50
21-2202047960302 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
21-2202037890201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	126.00	126.00	3600.00	1080.00
21-2202037960201 राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान	0.00	63.00	63.00	600.00	180.00
कुल योग	574604.22	866102.62	1022093.21	3042749.2	976616.45
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2851001020106 उद्योग मित्र	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
23-2851001030113 शिल्प अनुशंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
23-2851001040101 हस्तशिल्प का विकास	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00
23-2851001080101 विद्युत करघा योजना	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00
23-2852801020135 इन्टर प्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	197.01	600.00	600.00	700.00	210.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-23 उद्योग विभाग					
23-2852801020150 सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेकनॉलाजी की स्थापना	0.00	0.00	0.00	1590.00	0.00
23-2852801020160 प्रो-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00
23-2851001030103 हस्तकरघा विकास की योजना	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
23-2851001020107 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	1246.74	3142.50	3142.50	10756.00	3226.80
23-2851001070101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	15.12	90.00	90.00	500.00	0.00
23-2851007890110 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	1916.66	2925.00	2925.00	12665.00	3799.50
23-2851007960117 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	127.73	183.00	183.00	791.00	237.30
23-6851001020101 मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ी जाति उद्यमी योजना	0.00	2992.50	2992.50	10244.00	3073.20
23-6851007890101 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	1755.00	2787.00	2787.00	12055.00	3616.50
23-6851007960107 मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	117.00	174.00	174.00	754.00	226.20
कुल योग	5375.25	12894.00	12894.00	84155.00	14389.50
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230021010214 नेशनल कैरियर सर्विस	33.768	144.00	144.00	480.00	144.00
26-2230021010314 नेशनल कैरियर सर्विस	12.384	96.00	96.00	320.00	96.00
26-2230030030129 बिहार कौशल विकास मिशन	3508.47	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230030030233 कौशल विकास मिशन	74.86	184.50	184.50	915.00	274.50
26-2230030030333 कौशल विकास मिशन	159.918	324.00	324.00	1080.00	324.00
26-2230037890101 बिहार कौशल विकास मिशन	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960121 बिहार कौशल विकास मिशन	103.998501	0.00	0.00	0.00	0.00
26-2230037960122 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	0	163.19	163.19	543.95	163.19
26-2230037890102 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	0	3007.73	3007.73	10025.75	3007.73

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-26 श्रम संसाधन विभाग					
26-2230030030130 बिहार कौशल विकास मिशन सात निश्चय-2	0	3879.09	3879.09	11930.30	3579.09
कुल योग	5864.77	7798.51	7798.51	25295.00	7588.51
मांग सं0-30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग					
30-2202021070109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	7639.65	7000.00	7000	10000.00	7000.00
30-2202021070210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	0	30.00	30.00	100.00	30.00
30-2202031070106 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कौचिंग की व्यवस्था	30	210.00	210.00	500.00	150.00
30-2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	900	900.00	900.00	3000.00	900.00
30-2250000030101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0	150.00	150.00	300.00	90.00
30-4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	438.81	3090.00	3090.00	12000.00	3600.00
30-4250000510307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	227.16	750.00	750.00	2000.00	600.00
30-4250000510308 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विकास राज्यांश	0	150.00	150.00	1000.00	300.00
30-5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में (कैपिटल सेयर)	826.2	3240.00	3240.00	10000.00	3000.00
कुल योग	10061.82	15520.00	15520.00	38900.00	15670.00
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-2215011020106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2139.99	1239.90	1239.90	3460.30	1038.09
36-2215017890104 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	320.33	244.80	244.80	705.60	211.68
36-2215017960105 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	13.49	15.30	15.30	44.10	13.23
36-4215011020101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	3.87	90.00	90.00	50.00	15.00
36-4215011020103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स कूप, नलकूप द्वारा)	692.91	496.20	496.20	2075.00	622.50
36-4215011020116 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए संरचना का विकास एवं नाबार्ड से ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4215011020132 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	73975.94	33911.00	52338.48	52169.70	15650.91
36-4215011020230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	7992.15	9960.00	9960.00	33200.00	9960.00
36-4215011020231 ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (आर0डब्ल्यू0एस0एस0-एल0आई0एस0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36-4215011020330 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	7984.76	4980.00	4980.00	16600.00	4980.00
36-4215017890111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	308.66	245.40	245.40	400.00	120.00
36-4215017890114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	13670.91	6672.00	9072.00	19416.40	5824.92
36-4215017890212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2880.00	1920.00	1920.00	6400.00	1920.00
36-4215017890312 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1920.00	960.00	960.00	3200.00	960.00
36-4215017960107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	18.82	8.40	8.40	25.00	7.50
36-4215017960119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	791.95	417.00	567.00	1213.90	364.17
36-4215017960120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	273.61	126.90	126.90	65.00	19.50
36-4215017960217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	158.64	120.00	120.00	400.00	120.00
36-4215017960317 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	120.00	60.00	60.00	200.00	60.00
36-4215021060104 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	0.00	30.00	30.00	150.00	45.00
36-4215011020134 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण	0.00	11700.00	300.00	500.00	150.00
36-2215011020107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव	0.00	300.00	11700.00	44500.00	13350.00
36-4215011020133 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	5395.00	1618.50
36-4215017890115 शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00	1040.00	312.00
36-4059010510128 कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	1500.00	450.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग					
36-4216010510103 आवासीय व्यय	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
36-4215011020125 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
36-2215020030102 अनुसंधान केन्द्र (प्रांजल)	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00
36-4215011020124 ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु भौगोलिक अन्वेषण कार्य	0.00	0.00	0.00	5.00	1.50
कुल योग	113266.03	73496.90	94474.38	194765.00	58429.50
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2215021050103 लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	4.80	4.80	1.00	0.48
42-2215021050104 लोहिया स्वच्छता योजना	0.00	0.00	0.00	4700.00	2256.00
42-2215021050202 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	3427.76	23040.00	23040.00	63200.00	30336.00
42-2215021050302 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	21272.16	2880.00	2880.00	11850.00	5688.00
42-2215027890204 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	782.12	33984.00	33984.00	16000.00	7680.00
42-2215027890304 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0सी0	5454.40	4248.00	4248.00	3000.00	1440.00
42-2215027960206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0टी0	41.21	576.00	576.00	800.00	384.00
42-2215027960306 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एस0टी0	545.44	72.00	72.00	150.00	72.00
42-2501061010204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	5040.00	4183.20
42-2501061010304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	630.00	522.90
42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	252.00	209.16
42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	42.00	34.86
42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	42.00	34.86
42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	0.00	0.00	0.00	42.00	34.86

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	18546.76	36852.00	36852.00	65730.00	54555.90
42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी0		10790.00		10836.00	
42-2501067890202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी0	19819.13	35930.70	35930.70	53210.00	44164.30
42-2501067890203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी1	0.00	0.00	0.00	4080.00	3386.40
42-2501067890303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी2	0.00	0.00	0.00	510.00	423.30
42-2501067890204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी3	0.00	0.00	0.00	204.00	169.32
42-2501067890304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी4	0.00	0.00	0.00	34.00	28.22
42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी5	0.00	0.00	0.00	34.00	28.22
42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी6	0.00	0.00	0.00	34.00	28.22
42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0सी0	13045.61	6258.20	21507.00	8772.00	7280.76
42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी0	13730.55	19347.30	19347.30	37560.00	31174.80
42-2501067960203 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी1	0.00	0.00	0.00	2880.00	2390.40
42-2501067960303 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी2	0.00	0.00	0.00	360.00	298.80
42-2501067960204 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी3	0.00	0.00	0.00	144.00	119.52
42-2501067960304 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी4	0.00	0.00	0.00	24.00	19.92
42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी5	0.00	0.00	0.00	24.00	19.92

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-42 ग्रामीण विकास विभाग					
42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी6	0.00	0.00	0.00	24.00	19.92
42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)-एस0टी0	9032.66	4531.80	15057.03	6192.00	5139.36
42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	151680.13	199999.00	199999.00	220000.00	110000.00
42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	9995.39	14999.00	26675.54	30000.00	15000.00
42-2505027890201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस0सी0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
42-2505027890301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस0सी0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
42-2505027960201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस0टी0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
42-2505027960301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)- एस0टी0	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
42-2515001020119 सतत् जीविकोपार्जन योजना	4875.00	6225.00	6225.00	10000.00	8300.00
42-2515001020516 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	2870.97	0.30	0.30	0.00	0.00
42-4515001020502 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (वाह्य सम्पोषित)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
कुल योग	275119.28	399740.40	426400.97	556401.00	335423.60
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225010010004 वैधिक सहायता	0.00	30.00	0.30	1.00	0.30
44-2225011970001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.00	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011970002 छात्रवृत्ति/वजीफा	1.77	4.00	4.00	10.00	4.00
44-2225011980001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	20.00	20.00	20.00	50.00	20.00
44-2225012770002 छात्रावासों का संधारण	180.90	303.06	453.06	909.29	272.78
44-2225012770003 आवासीय विद्यालय	3183.25	5126.87	4976.87	16157.95	5655.28
44-2225012770007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	20.00	30.00	40.00	100.00	40.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225012770008 पुस्तक अधिकोष की स्थापना	0.00	3.00	3.00	10.00	3.00
44-2225012770009 नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.03	0.10	0.03
44-2225012770011 छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	505.46	455.00	455.00	1300.00	455.00
44-2225012770012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	36.90	87.26	87.27	286.66	86.00
44-2225022770001 छात्रवृत्तियाँ/वृत्तियाँ	9.90	11.70	11.70	39.00	11.70
44-2225022770003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	18.00	0.00	0.00	151.44	0.00
44-2225022820001 आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संघारण	45.90	52.58	52.59	187.53	56.26
44-2225022770004 आवासीय विद्यालय	523.20	0.00	0.00	3254.72	0.00
44-2070000010106 अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225010010101 निदेशन और प्रशासन	11.40	30.00	30.00	100.00	30.00
44-2225011020101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.00	15.00	15.00	50.00	15.00
44-2225011020115 महादलित विकास हेतु	9150.00	9510.00	9510.00	30500.00	9150.00
44-2225011020316 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई)	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
44-2225011970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	2595.20	4541.20	3474.40	5890.00	2356.00
44-2225011980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	10036.71	8511.20	8511.20	14430.00	5772.00
44-2225012770101 शिक्षा	194.10	660.00	642.00	1900.00	570.00
44-2225012770107 शिक्षा	12758.76	14293.50	14939.00	25080.00	12540.00
44-2225012770219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	1800.00	1800.00	6000.00	1800.00
44-2225012770221 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	448.00	450.00	750.00	4000.00	1200.00
44-2225012770222 अनु0 जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1000.00	1600.00	1600.00	6000.00	2400.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225012770319 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	1800.00	1500.00	1500.00	4000.00	1200.00
44-2225012770321 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	438.00	450.00	750.00	4000.00	1200.00
44-222501793401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	213.74	3196.81	3286.82	10000.00	3000.00
44-2225021020105 अनु0 जनजाति विकास हेतु	60.00	300.00	300.00	1000.00	300.00
44-2225021020201 अनु0 जनजातियों का बहुमुखी विकास -संविधान की धारा 275(01) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	56.83	450.00	450.00	1500.00	450.00
44-2225021020202 अनु0 जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	343.80	450.00	450.00	1500.00	450.00
44-2225021970101 छात्रवृत्ति/वजीफा	242.00	322.40	322.40	930.00	372.00
44-2225021980101 छात्रवृत्ति/वजीफा	742.00	989.20	989.20	2850.00	1140.00
44-2225022770101 शिक्षा	378.25	2837.70	2441.00	7505.00	3135.00
44-2225022770106 आवासीय विद्यालय	65.40	90.00	90.00	400.00	120.00
44-2225022770214 अनु0 जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए	0.00	3.00	3.00	10.00	3.00
44-2225022770216 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति	120.00	240.00	610.00	1000.00	400.00
44-2225027960125 थरुहठ क्षेत्र विकास	60.00	1068.60	1068.60	3416.00	1024.80
44-2225027960228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समुहों के विकास	75.00	120.00	120.00	400.00	120.00
44-2225027960427 वनबन्धु कल्याण योजना	0.00	3.00	3.00	10.00	3.00
44-4425001080164 बिहार राज्य अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम	0.00	120.00	120.00	200.00	60.00
44-2225011020216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	1200.00	1200.00	4000.00	1200.00
44-2225010010102 आवासीय विद्यालयों की स्थापना				69.00	20.70
44-2225012770324 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति				3000.00	1200.00
44-2225022770316 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति				400.00	160.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-44 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग					
44-2225022770217 प्रो-मैट्रिक छात्रवृत्ति				905.00	362.00
44-2225022770315 प्रो-मैट्रिक छात्रवृत्ति				400.00	160.00
कुल योग	45334.48	60895.58	61099.94	163962.69	58536.85
मांग सं0-46 पर्यटन विभाग					
46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	1933.77	10400.00	10400.00	15500.00	7500.00
कुल योग	1933.77	10400.00	10400.00	15500.00	7500.00
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2215011910101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	450.00	1050.00	0.01	0.00
48-2215011920101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	750.00	0.01	0.00
48-2215011930101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	600.00	149.99	1199.96	0.01	0.00
48-2215017890101 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	149.99	149.99	2000.00	600.00
48-2215017890102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	49.96	15.00
48-2215017890103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	475.32	450.00	450.00	3999.99	1200.00
48-2215017960102 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	0.00	120.00	120.00	800.00	240.00
48-2215017960103 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना	165.00	30.00	30.00	600.00	180.00
48-2215021910102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	4852.25	4950.00	4950.00	395.00	118.50
48-2215021920102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	369.95	750.00	750.00	500.00	150.00
48-2215021930102 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	159.10	750.00	750.00	500.00	150.00
48-2215027890101 नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना	6978.26	1807.49	1807.49	26105.00	7831.50
48-2215011910106 जल जीवन हरियाली अभियान	90.00	225.00	225.00	750.00	225.00
48-2215011920103 जल जीवन हरियाली अभियान	105.00	262.50	262.50	875.00	262.50
48-2215011930102 जल जीवन हरियाली अभियान	0.00	262.50	262.50	875.00	262.50

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217011910109 नागरिक सुविधा	3298.56	3600.00	3600.00	6000.00	1800.00
48-2217011910116 नागरिक सुविधा	359.28	900.00	900.00	1500.00	450.00
48-2217031920105 नागरिक सुविधा	228.16	750.00	750.00	1250.00	375.00
48-2217031930104 नागरिक सुविधा	100.58	750.00	750.00	1250.00	375.00
48-2217011910124 विशेष स्वच्छता अनुदान	683.77	690.00	690.00	2300.00	690.00
48-2217031920114 विशेष स्वच्छता अनुदान	600.00	600.00	600.00	2000.00	600.00
48-2217031930113 विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	510.00	510.00	1700.00	510.00
48-2217011910115 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	554.26	150.00	750.00	500.00	150.00
48-2217031930103 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	280.15	300.00	2700.00	70.00	21.00
48-2217017890102 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	300.00	300.00	1000.00	300.00
48-2217037890102 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	739.35	1350.00	1350.00	4500.00	1350.00
48-2217030510204 स्मार्ट सिटी मिशन	0.00	12600.00	12600.00	42000.00	12600.00
48-2217030510304 स्मार्ट सिटी मिशन	75.00	6000.00	6000.00	20000.00	6000.00
48-2217800010501 वाह्य संपोषित योजना	0.00	10560.00	10560.00	35000.00	10500.00
48-5075601900101 पटना मेट्रो रेल	1500.00	4500.00	46500.00	15000.00	4500.00
48-2217011910106 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	12.27	17.50	17.50	35.00	10.50
48-2217017890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	0.00	1440.00	1440.00	4800.00	1440.00
48-2217017890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	239.87	420.00	420.00	1400.00	420.00
48-2217017960201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	31.34	82.50	82.50	275.00	82.50
48-2217017960301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	15.00	30.00	30.00	100.00	30.00
48-2217030510201 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	0.00	5703.00	5703.00	19010.00	5703.00
48-2217030510203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	3039.79	5910.00	5910.00	19700.00	5910.00

(राशि लाख रु. में)

विपन्न कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-48 नगर विकास एवं आवास विभाग					
48-2217030510301 हर घर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान निश्चय योजना	0.00	3000.00	3000.00	10000.00	3000.00
48-2217030510202 अमृत	20577.90	14400.00	14400.00	48000.00	14400.00
48-2217030510302 अमृत	3900.00	1500.00	8687.70	5600.00	1680.00
48-2217030510303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	4700.88	2340.00	2340.00	7800.00	2340.00
48-2217031910102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	81.15	95.00	95.00	280.00	140.00
48-2217031920102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	183.48	200.00	200.00	685.00	342.50
48-2217031930102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	127.74	150.00	150.00	500.00	250.00
48-2217037890205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	881.28	4320.00	4320.00	14400.00	4320.00
48-2217037890305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	800.34	870.00	870.00	2900.00	870.00
48-2217037960203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	64.26	247.50	247.50	825.00	247.50
48-2217037960303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	53.92	60.00	60.00	200.00	60.00
48-3475001080202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	678.57	1237.50	1237.50	4125.00	1237.50
48-3475001080302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	487.31	414.59	414.59	1381.97	414.60
48-3475007890202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	208.58	960.00	960.00	3200.00	960.00
48-3475007890302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	96.00	140.40	140.40	468.00	140.40
48-3475007960202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	52.50	52.50	52.50	175.00	52.50
48-3475007960302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	6.00	45.00	45.00	150.00	45.00
48-2217010510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	120.00	120.00	800.00	240.00
48-2217030510101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन	0.00	630.00	630.00	2700.00	810.00
48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	1200.00	1200.00	5000.00	1500.00
48-22170037960101 मु0 शहरी नाली-गली पक्की0 निश्चय योजना	0.00	0.00	0.00	930.00	279.00
48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण	0.00	2550.00	2550.00	9500.00	2850.00
कुल योग	58452.16	102052.96	156640.64	336459.95	101231.00

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2210061010113 बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	3550.88	1080.00	3050.87	1500.00	450.00
51-2235021010106 निर्धन एवं निराश्रितों का कल्याण सहायक अनुदान	57.00	90.00	78.00	300.00	99.00
51-2235021010119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	117.00	180.00	180.00	475.00	
51-2235021010121 मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	78.00	92.03	92.03	300.00	121.62
51-2235021020117 आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	5636.93	4453.13	6336.16	8939.41	4246.22
51-2235021020222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	27319.08	64654.88	73004.05	81946.85	69654.82
51-2235021020223 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	881.48	1235.75	1235.75	3799.98	3230.00
51-2235021020225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	5050.51	16022.13	16022.13	23066.34	16146.44
51-2235021020322 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	31806.87	21221.36	54127.49	23599.09	20059.23
51-2235021020323 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई0सी0पी0एस0)	728.00	552.77	552.77	2999.98	2799.98
51-2235021020325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0एन0आई0पी0 सहित)	822.76	2815.54	4005.54	3066.58	2146.61
51-2235021020327 आंगनवाड़ी सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	18755.53	22749.99	25595.15	25880.77	18116.54
51-2235021040106 बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	936.90	750.00	750.00	2500.00	750.00
51-2235021040107 मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	99.00	120.00	120.00	400.00	120.00
51-2235021040504 बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	2130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2235021060106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	339.74	527.25	527.25	1735.00	520.50
51-2235021060107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	44.45	92.24	92.24	333.44	101.00
51-2235022000103 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	80.00	384.70	384.70	1000.00	384.70
51-2235022000105 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	156.00	191.40	191.40	250.00	191.40
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	4.50	4.50	15.00	4.50

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं0-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2235027890103 आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	1983.67	1484.38	2112.06	2979.80	1415.41
51-2235027890104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	20.00	192.35	192.35	500.00	192.35
51-2235027890111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	58.50	90.00	90.00	325.00	975.00
51-2235031010101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	20255.76	17706.50	32579.96	28500.00	14418.15
51-2235031010102 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	81.00	40.47	40.47	100.00	40.47
51-2235031010201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	41227.54	41483.80	41483.80	85000.00	43001.50
51-2235031010202 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	1417.50	1456.92	1416.45	3860.00	1602.61
51-2235031010301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	25070.93	13861.66	21908.42	27400.00	13861.66
51-2235031010302 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	308.56	283.29	463.18	700.00	283.29
51-2235031020203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना	97.00	2971.35	2971.35	7200.00	69.1.20
51-2235037890101 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4322.31	6273.16	6273.16	10400.00	5261.36
51-2235037890103 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	0.00	20.24	20.24	50.00	20.24
51-2235037890201 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	21003.22	20792.49	20792.49	44540.00	22532.79
51-2235037890203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	881.30	809.40	809.40	2000.00	809.40
51-2235037890301 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3750.00	5362.54	5362.54	10600.00	5362.54
51-2235037890303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	81.00	161.88	161.88	400.00	161.88
51-2235037960203 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2500.00	2681.27	2681.27	5300.00	2681.27
51-2235037960303 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	132.00	505.90	505.90	1000.00	505.90
51-2235601020104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	12138.00	7510.10	12617.51	17000.00	5856.50
51-2235607890103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2140.93	2411.50	2411.50	7000.00	2411.50
51-2236021010203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	18103.28	45071.44	45071.44	102098.02	56153.91
51-2236021010303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	80742.01	0.01	66923.48	0.01	0.00

(राशि लाख रु. में)

विपत्र कोड- स्कीम का नाम	2020-21 (जेंडर बजट वास्तविकी)	2021-22 (जेंडर बजट अनुमान)	2021-22 (जेंडर बजट पुनरीक्षित अनुमान)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (जेंडर बजट अनुमान)
मांग सं०-51 समाज कल्याण विभाग					
51-2236027890204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	23801.09	22595.48	22595.48	34032.67	18717.97
51-2236027890304 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	19574.94	26783.51	26783.51	55767.48	30672.11
51-2236027960305 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	4072.61	4075.50	4075.50	7410.00	4075.50
51-4235021020208 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.00	475.00	475.00	1200.00	570.00
51-4235021020308 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	0.00	0.01	500.01	0.01	0.00
51-2235022000201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
51-2235021040201 नेशनल एक्शन प्लान फौर ड्रग डिमांड रिडेशन	0.00	0.00	0.00	1000.00	300.00
51-2235021020105 एम0आई0एस0	0.00	0.00	0.00	2200.00	660.00
51-2235021040109 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00	66000.00	35620.20
51-2235027890114 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00	13000.00	7016.10
51-2235027960125 मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00	2000.00	1079.40
51-2235021040110 वाह्य संपोषित	0.00	0.00	0.00	5500.00	1650.00
51-2235022000106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	0.00	0.00	0.00	15.00	4.50
51-2235021010111 पदाधिकारियों का परीक्षण	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00
51-2235021020121 बाल सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00
कुल योग	382353.27	362317.82	507668.35	728245.43	417374.07
महायोग	1639888.42	2240627.44	2723699.76	6131056.45	2358738.79



बिहार सरकार

वित्त विभाग बिहार सरकार